भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2014-15 / 77 **1 जुलाई 2014**

बैंपविवि. सं. बीएपीडी.बीसी. 7/22.01.001/2014-15 **10 आषाढ़ 1935(शक)**

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण के संबंध में मास्टर परिपत्र

कृपया 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 18/22.01.001/2013-14 देखें जिसमें 30 जून 2013 तक बैंकों को शाखा प्राधिकरण पर जारी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है। उपर्युक्त को 30 जून 2014 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप से अद्यतन कर दिया गया है। संशोधित मास्टर परिपत्र की प्रति संलग्न है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

2. विदेशी बैंक इस मास्टर परिपत्र के पैरा 3.3 से मार्गदर्शन प्राप्त करें।

भवदी

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

Department of Banking Operations and Development, Central Office, 13 th Floor , Central Office Building,,Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001
टेलिफोन /Tel No: 91-022- 22661602/22601000 फैक्स/Fax No: 91-022-22701224 Email ID: cgmicdbodco@rbi.org.in

विषय-वस्तु

पैरा सं.	विषय	पृ. सं.
क.	उद्देश्य	3
ख.	वर्गीकरण	3
ग.	पिछले दिशानिर्देशों का समेकन	3
घ.	प्रयोज्यता	3
ङ	संरचना	4
1	भूमिका	4
2.	परिभाषा	4
3.	शाखा प्राधिकरण नीति	4
क	शाखाएं खोलना	5
ख	केंद्रों का प्रतिस्थापन	14
ग	शाखाओं का स्थान बदलना	15
घ	शाखाओं का परिवर्तन	18
ङ	शाखाओं का विलयन	19
च	शाखाएं बंद करना	20
4.	ऑफ साइट/मोबाइल एटीएम स्थापित करना - सामान्य अनुमति	21
5.	मोबाइल शाखाएँ	23
6.	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस स्थापित करना	23
7.	कॉल सेंटर	24
8.	व्यवसाय सुविधाप्रदाता / व्यवसाय प्रतिनिधि	24
9.	दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग	32
10.	परिसरों का अभिग्रहण	32
11.	केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण	33
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना	34
अनुबंध -1	वित्त वर्ष के दौरान एबीईपी के अधीन खोली गई शाखाओं का ब्योरा	35

अनुबंध - 2	जनसंख्या के आधार पर केंद्रों के टियर-वार वर्गीकरण का ब्यौरा	37
अनुबंध -3	अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों की सूची	38
अनुबंध -4	अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची	44
अनुबंध -5	एक केंद्र से दूसरे केंद्र में शाखाओं के स्थान बदलने के प्रस्ताव के लिए फॉर्मेट	48
अनुबंध -6	शाखाओं के विलयन के प्रस्ताव के लिए फॉर्मेट	49
अनुबंध -7	शाखाएं बंद करने के प्रस्ताव के लिए फॉर्मेट	50
अनुबंध -8	बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम के परिचालन के लिए रिपोर्टिंग का फॉर्मेट	51
अनुबंध -9	प्रोफार्मा 1 तथा प्रेाफार्मा II	52
अनुबंध -10	मोबाइल शाखाओं/कार्यालयों/मोबाइल एटीएम में परिचालन आरम्भ करने की सूचना देने के लिए फार्मेट	79
अनुबंध –11 क	फॉर्म VI - व्यवसाय का नया स्थान प्रारंभ करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र	80
अनुबंध –11 ख	खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का संक्षिप्त विवरण	84
अनुबंध – 11 ग	अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में विद्यमान शाखाओं की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या	86
अनुबंध -11 घ	अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों/अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में विद्यमान एटीएम की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या	87
अनुबंध -11 ङ	विद्यमान विस्तार पटलों की राज्यवार, जनसंख्या समूहवार संख्या	88
अनुबंध -11 च	विशेषीकृत शाखाओं का सामान्य शाखाओं में तथा सामान्य शाखाओं का विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तन संबंधी सूचना	89
अनुबंध -11 छ	वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ प्रस्तुत की जानेवाली सूचना	90
अनुबंध -11 ज	सामान्य अनुमति के अंतर्गत टियर 2 से टियर 6 तक के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट	94
अनुबंध -11 झ	किसी विस्तार काउंटर के अनुरोध के लिए बैंक द्वारा दिये जाने वाले ब्यौरे (ङ.ग.)	95
परिशिष्ट	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	100

शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र

क. उद्देश्य

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुरूप भारत में शाखाएँ खोलने /बंद करने /स्थान बदलने के लिए बैंकों द्वारा पालन करने के लिए नियम /विनियमन/क्रियाविधि का ढाँचा प्रदान करना।

ख. वर्गीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सांविधिक दिशानिर्देश।

ग. पिछले दिशानिर्देशों का समेकन

यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को अद्यतन करता है।

घ. प्रयोज्यता

स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

ङ. संरचना

1. भूमिका
2. परिभाषा
3. शाखा प्राधिकरण नीति

क शाखाएँ खोलना
ख केंद्रों का प्रतिस्थापन
ग शाखाओं का स्थान बदलना
घ शाखाओं का स्थान बदलना...
ङ शाखाओं का परिवर्तन
च शाखाओं का विलयन
छ शाखाएँ बंद करना

4. ऑफ साइट एटीएम स्थापित करना - सामान्य अनुमति
5. मोबाइल शाखाएं
6. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / बैक ऑफिस की स्थापना
7. कॉल सेंटर
8. व्यावसायिक सुविधाप्रदाता /व्यावसायिक प्रतिनिधि मॉडल
9. दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग
10. परिसरों का अभिग्रहण
11. केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण
12. भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना

1. भूमिका

बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने और वर्तमान शाखाओं का स्थान बदलने का कार्य बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के उपबंधों से नियंत्रित होता है। इन उपबंधों के अनुसार बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत में अथवा विदेश में कारोबार का नया स्थान नहीं खोल सकते हैं, न ही कारोबार के मौजूदा स्थान को, उसी शहर, कस्बे या गांव को छोड़कर, अन्यत्र ले जा सकते हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार यह निर्धारित है कि इस धारा के अंतर्गत कोई भी अनुमति प्रदान करने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को धारा 35 के अंतर्गत निरीक्षण करके अथवा अन्यथा बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंध तंत्र के सामान्य स्वरूप, उसके पूंजी-ढांचे की पर्याप्तता तथा अर्जन की संभावनाओं के संबंध में तथा इस बात से संतुष्ट होना होगा कि कारोबार का नया स्थान खोलना अथवा वर्तमान स्थान में परिवर्तन करना, जैसी स्थिति हो, जनहित में होगा। इस संबंध में स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
नीचे दिये गये दिशानिर्देश भारत में स्थित शाखाओं के प्राधिकरण की नीति से संबंधित हैं।

2. परिभाषा

शाखा प्राधिकरण नीति के प्रयोजन के लिए "शाखा" में सभी शाखाएं शामिल होंगी, अर्थात् स्वयं पूर्ण शाखाएं, विशेषीकृत शाखाएं, अनुषंगी (सेटलाइट) कार्यालय, मोबाइल शाखाएं, विस्तार पटल, ऑफसाइट एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन), प्रशासनिक कार्यालय, नियंत्रक कार्यालय, सेवा शाखाएं (बैक ऑफिस या प्रसंस्करण केंद्र) आदि।
कॉल सेंटर को शाखा के रूप में नहीं माना जाएगा। कॉल सेंटर वह है जहां ग्राहक को टेली-बैंकिंग सुविधा के माध्यम से केवल खाते या उत्पाद की जानकारी दी जाती है और ऐसे केंद्रों के माध्यम से कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं किया जाता। साथ ही, कॉल सेंटरों में ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क की अनुमति नहीं है।

3. शाखा प्राधिकरण नीति

(i) शाखा प्राधिकरण को उदारीकृत और तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से शाखा प्राधिकरण नीति का एक ऐसा ढांचा स्थापित किया गया है जो बैंकों की मध्यावधि कार्पोरेट कार्यनीति तथा जनहित से सुसंगत होगा। बैंकिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति और इतिहास, उसके प्रबंध तंत्र के सामान्य स्वरूप, उसके पूंजी-ढांचे की पर्याप्तता तथा अर्जन की संभावनाओं के अलावा शाखा प्राधिकरण नीति के ढांचे में नीचे दिये गये पैराग्राफों में उल्लिखित तत्व होंगे।

क. शाखाएं खोलना

3.1 देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 19 सितंबर 2013 से कतिपय शर्तों के अधीन प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना, शाखाएं खोलने की अनुमति दी गयी है। भारत में देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए शाखा प्राधिकरण (खोलने) संबंधी दिशानिर्देश निम्ननानुसार हैं:

(i) शाखा प्राधिकरण नीति में देश के सभी टियर केंद्रों में (टियर 1 से टियर 6 तक) शाखा खोलना शामिल है। टियर-वार जन संख्या समूह **अनुबंध 2** के अनुसार है। उससे हम देख सकते हैं कि टियर 1 में महानगर और शहरी केंद्र है, टियर 2, 3 और 4 में अर्ध-शहरी केंद्र तथा टियर 5 और 6 में ग्रामीण केंद्र शामिल हैं।

(ii) अधिक समरूप स्थानिक वितरण सुनिश्चित करने के प्रयोजन से बैंकों को कम बैंक सुविधा वाले केंद्रों में, विशेषतः कम बैंक सुविधावाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कम बैंक सुविधावाला केंद्र (जिला या राज्य) वह होगा जहां प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या (एपीपीबीओ) राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अतः इन केंद्रों में बैंक शाखाएं होने के बावजूद वहां वांछित संख्या में बैंक शाखाएं नहीं हैं। यद्यपि ऐसे केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए कोई निर्धारित संख्या नहीं है, तथापि ऐसे केंद्रों में नीचे पैरा 3.1 में दिए गए अनुसार शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन दिया जाता है। कम बैंक सुविधावाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों की सूची **अनुबंध 4** में दी गयी है।

(iii) बैंकिंग पैठ तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंकिंग सुविधा रहित केंद्रों में शाखाएं खोलने की आवश्यकता है। बैंकिंग सुविधा रहित केंद्र वह है जहां किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए कोई इमारती शाखा नहीं है। अतएव, वर्तमान शाखा प्राधिकरण नीति में यह प्रावधान किया गया है कि बैंकों को नीचे पैरा (vi)(क) में दिए गए अनुसार वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोलनी चाहिए।

(iv) देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देश भर में टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए दी गयी सामान्य अनुमति में बैंक की विशेषीकृत शाखाएं, विस्तार काउंटर, सेटलाईट कार्यालय, सेवा शाखाएं, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) और अन्य कार्यालय/शाखाएं शामिल हैं। अतः बैंकों को किसी भी केंद्र में शाखाएं या कारोबार के अन्य स्थान या प्रशासनिक कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करना अपेक्षित नहीं है।

(v). शाखा विस्तार के लिए वार्षिक नीति के एक भाग के रूप में बैंक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना बना सकते हैं जो बैंक के बोर्ड द्वारा मंजूर होनी चाहिए। योजना बनाते समय, बैंक, कम लागत वाली शाखाएं खोलने, फिजिकल फुटफॉल्स कम करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग और वर्च्युअल बैंकिंग सहित प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग करने, ग्राहक सेवा में सुधार, आदि घटकों का ध्यान रख सकते हैं।

(vi) किसी वित्त वर्ष के दौरान शाखाएं नीचे दी गईं शर्तों के अधीन खोली जाएगीं। विस्तार काउन्टर, सैटेलाईट कार्यालय, मोबाइल शाखाएं, चेक प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), सेवा केंद्र और प्रशासनिक कार्यालय किसी भी केंद्र पर बिना अनुमति के खोले जा सकते हैं और नीचे दिए गए पैरा (क) और (ख) के प्रयोजन के लिए उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

क) वित्त वर्ष के दौरान खोली गई कुल शाखाओं (नीचे पैरा 10 में बताए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर) में से कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर 5 और टियर 6) में खोली जानी चाहिए, अर्थात् ऐसे केंद्रों में जहां ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई इमारती संरचना न हो।

ख) वित्त वर्ष के दौरान टियर 1 केंद्रों में खोली गई कुल शाखाएं (नीचे पैरा 10 में बताए अनुसार प्रोत्साहन के रूप में टियर 1 केंद्रों की शाखाओं के लिए दी गई पात्रता को छोड़कर) टियर 2 से 6 के केंद्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में स्थित सभी केंद्रों में खोली गई कुल शाखाओं से अधिक नहीं हो सकती।

(vii) चूंकि अधिक समरूप स्थानिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में अधिक शाखाएं खोलने की सतत आवश्यकता है, इसलिए बैंकों को ऐसी शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तदनुसार, बैंक [उपर्युक्त पैरा (vi) (क) और (ख) में परिभाषित अपनी पात्रता के अतिरिक्त] टियर 1 के केंद्रों में उतनी शाखाएं खोल सकते हैं जितनी उन्होंने कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 के केंद्रों में खोली हैं। इस गणना में बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गई ऐसी ग्रामीण शाखाएं शामिल नहीं हैं जो कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में स्थित हैं।

(viii) बैंक यह सुनिश्चित करें कि किसी वित्त वर्ष के दौरान खोली गई सभी शाखाओं में ऊपर दिए गए मानदंडों का अनुपालन किया गया है। यदि कोई बैंक ऊपर पैराग्राफ (vi) और (vii) के अनुसार टियर 1 के केंद्रों के लिए अपनी पात्रता के अनुरूप सभी शाखाएं खोलने में असमर्थ हो, तो वह परवर्ती दो वर्षों के दौरान ये शाखाएं खोल सकता है।

ix) ऐसे बैंक, जो किसी कारणवश वित्त वर्ष के दौरान टियर 2 से 6 के केंद्रों में कुल शाखाएं अथवा बैंक-रहित ग्रामीण केंद्रों (टियर 5 से 6 के केंद्र) में शाखाएं खोलने के अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हैं, वे अगले वित्त वर्ष में इस कमी को अवश्य दूर करें।

x) बैंकों को दिनांक 28 मई, 2013 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी.97/22.01.001/ 2012-13 के माध्यम से सूचित किया गया था कि वे अपनी वित्तीय समावेश योजना (एफआईपी) के सम-आवधिक तीन वर्षीय चक्र में बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएँ खोलने का कार्य शुरू में ही पूरा करने (प्राथमिकता देने) के बारे में विचार कर सकते हैं। इसलिए, उस वर्ष के दौरान खोली गयी कुल शाखाओं के अपेक्षित 25 प्रतिशत से अधिक बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली गई शाखाओं के लिए क्रेडिट दिया जाना जारी रहेगा और इसे वित्तीय समावेश योजना (एफआईपी) के आगामी वर्ष में मानदंड हासिल करने के लिए शामिल किया जाएगा।

xi) बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शाखाएं खोलना व्यवहार्य नहीं पाते हैं, वहां वे सैटेलाइट कार्यालय खोल सकते हैं। बैंकों द्वारा सैटेलाइट कार्यालय खोलने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

क. सैटेलाइट कार्यालय आसपास के गांवों में पुख्ता परिसर में स्थापित किए जाने चाहिए तथा एक केंद्रीय ग्राम/ ब्लॉक मुख्यालय में स्थित एक मूल शाखा से नियंत्रित तथा परिचालित किए जाने चाहिए।

ख. प्रत्येक सैटेलाइट कार्यालय को सप्ताह में कुछ विनिर्दिष्ट दिनों (कम से कम दो बार) पर विनिर्दिष्ट घंटों के लिए कार्य करना चाहिए।

ग. इन कार्यालयों में सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन किए जाने चाहिए।

घ. सैटेलाइट कार्यालय के ग्राहकों को ऐसे कार्यालयों के परिचालन न करने के दिनों पर मूल शाखा से लेन देन का कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए।

ङ. प्रत्येक सैटेलाइट कार्यालय के लिए अलग बहियां/पंजी/स्क्रोल रखे जाने चाहिएं, किंतु इन कार्यालयों में किए गए सभी लेनदेन मूल शाखा की खाता बहियों में शामिल किए जाने चाहिए।

च. मूल शाखा से संबद्ध स्टाफ, विशेषत: पर्यवेक्षी स्टाफ का एक सदस्य, एक कैशियर व लिपिक तथा एक सशस्त्र गार्ड को सैटेलाइट कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए।

छ. फर्नीचर, कैश इन ट्रांजिट आदि का बीमा कराने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाएं।

xii) बैंक जिन संस्थाओं के प्रधान बैंकर हैं, ऐसी संस्थाओं के परिसरों में विस्तार पटल खोल सकते हैं। विस्तार पटल ऐसे बड़े कार्यालयों/फैक्टरियों, अस्पतालों, मिलिटरी इकाइयों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि के परिसरों के भीतर खोले जा सकते हैं, जहां स्टाफ/ कर्मी, विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भर्ती हो तथा जिन्हें अपने एक जैसे कार्यसमय तथा उचित दूरी पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण अपने बैंकिंग लेनदेन करने में कठिनाई होती हो। विस्तार पटलों द्वारा सीमित प्रकार का बैंकिंग कारोबार किया जाना चाहिए, जैसे,

- जमा/आहरण लेनदेन,
- ड्राफ्ट तथा मेल अंतरण जारी करना तथा नकदीकरण,
- यात्री चेक जारी करना तथा नकदीकरण,
- उपहार चेकों की बिक्री,
- बिलों की वसूली,
- अपने ग्राहकों की सावधि जमाओं पर अग्रिम देना (विस्तार पटल से संबंधित अधिकारियों की मंजूरी देने की क्षमता के भीतर),
- सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा (बशर्ते समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए),
- अपने ग्राहकों को निक्षेपागार सुविधाएं देना, बशर्ते बैंक सेबी के पास निक्षेपागार सहभागी के रूप में पंजीकृत हो। विस्तार पटल को अमूर्त प्रतिभूतियां गिरवी रख कर ऋण सुविधा, या प्रतिभूति उधार देने या उधार लेने की सुविधा नहीं देनी चाहिए।

इसके अलावा, यदि विस्तार काउंटर सरकारी कारोबार करना चाहता है तो उसे संबधित सरकारी प्राधिकारी तथा सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन लेना होगा | आवासीय कालोनियों, शापिंग काम्प्लेक्स, बाजार और धार्मिक स्थलों आदि पर विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है |

xiii) 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए, वर्ष के दौरान वास्तव में खोली गयी शाखाओं की एक वार्षिक रिपोर्ट, बैंक के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और बैंकिंग परिचालन और विकास, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, (बैंपविवि,केंका), शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001, को अनुलग्नक 1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक भेजी जानी चाहिए।

ऊपर्युक्त शर्तों के अनुसार शाखाएं खोलने के बारे में अनुपालन की बैंक के वित्तीय निरीक्षण तथा वित्तीय समावेशन योजना की चर्चा के दौरान जांच की जाएगी।

(xiv) ऊपर उल्लिखित सामान्य अनुमति उपर्युक्त पैरा vi तथा vii में दिए गए पैरामीटर और संबंधित बैंक के संबंध में विनियामक/ पर्यवेक्षीय निश्चिंतता पर निर्भर करेगी। उपर्युक्त मानदंड पूर्ण न करने वाले बैंकों तथा उपर पैरा vi और ix में दिए गए दायित्व निभाने में असफल बैंकों को दी गयी सामान्य अनुमति रोक रखने तथा दंडात्मक उपाय करने का विकल्प भारतीय रिज़र्व बैंक के पास होगा।

3.2 घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) जिनसे सामान्य अनुमति वापस ले ली गयी है, नयी शाखा / कार्यालय खोलने के लिए अनुबंध 11 क में दिए गए फॉर्म VI के अनुसार वार्षिक आधार पर आवेदन प्रस्तुत करके पहले की तरह बैंपविवि, केंका, भारिबैं, से पूर्वानुमति लेना जारी रखें।

i) बैंकों को चाहिए कि वे वार्षिक आधार पर उन सभी संवर्गों की शाखाएं खोलने, बंद करने, उनके स्थान बदलने, विलयन और परिवर्तन के   प्रस्ताव के समेकित ब्यौरे सहित वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत करें, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। प्रस्तावित शाखाएँ खोलने का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध 11ख** में दिए गए प्रोफार्मों के अनुसार द्विभाषी फार्मेट में प्रस्तुत किया जाए। इसके साथ-साथ **अनुबंध 11 (क, ख, ग घ और ङ)** में मांगी गयी सूचना भी भेजी जाए। समेकित प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद विनिर्दिष्ट केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए अलग-अलग प्रस्ताव, जहां रिज़र्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित है, बैंककारी विनियमन (कंपनी नियम), 1949 के नियम 12 के अनुसार निर्धारित फॉर्म VI में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फार्म VI का प्रोफार्मा अनुबंध -11क में संलग्न है। उक्त फार्म VI प्रशासनिक कार्यालय /नियंत्रक कार्यालय, क्रेडिट कार्ड केंद्र और बैक ऑफिस/ प्रसंस्करण केंद्र के संबंध में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

ii) बैंक अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना वर्ष में किसी भी समय प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसे वित्तीय वर्ष अथवा कैलेंडर वर्ष के साथ संबद्ध नहीं किया गया है। उपर्युक्त के बावजूद, बैंक किसी भी अत्यावश्यक प्रस्ताव के लिए, विशेषकर ग्रामीण/ अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों (ज़िलों) में शाखाएं खोलने के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत दिए गए अनुमोदनों के अतिरिक्त, वर्ष में किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं जिन पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा । चूंकि एबीईपी की परिकल्पना इसलिए की गयी थी ताकि बेंक अपनी मध्यावधिक रणनीति के अंग के रूप में अपने शाखा विस्तार की योजना बना सकें, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के प्रस्ताव बार-बार नहीं भेजे जाएंगे।

iii) वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीइपी) तथा इस संबंध में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले अन्य प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल से या अन्य ऐसे प्राधिकारी जिसे बैंक के निदेशक मंडल ने शक्तियां प्रदान की हो, से अनुमोदित होना चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के अनुमोदन की अधिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि इन प्रस्तावों के साथ अनिवार्य रूप में प्रस्तुत की जाती है।

iv) प्रदान किए गए प्राधिकरण की वैधता प्राधिकरण/अनुमति का समेकित पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक होगी ।

सामान्य तौर पर प्राधिकरण की वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी । तथापि यदि बैंक एक वर्ष की वैधता अवधि के भीतर किसी वास्तविक कारण से कोई विशिष्ट शाखा खोलने में असमर्थ है, तो वह प्राधिकरण की वैधता समाप्त होने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग/ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के मामले में) से समय बढ़ाने, जो कि एक वर्ष से अधिक नहीं होगा, के लिए संपर्क कर सकता है । जिन केंद्रों पर बैंक प्राधिकरण अवधि अर्थात् एक वर्ष (अथवा अतिरिक्त एक वर्ष की बढ़ायी गई अवधि, जैसी भी स्थिति हो) के भीतर शाखा नहीं खोलता है तो प्रदान की गई अनुमति अपने आप रद्द हो जाएगी और यदि बैंक उस केंद्र पर फिर भी शाखा खोलना चाहता है तो उसे अगली वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल करना चाहिए।

(v) जहां तक नीतिगत ढांचे के जनहित आयामों का संबंध है, प्राधिकरण संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा :

(क) बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात पर अधिक बल देगा कि बैंकों द्वारा आम जनता, विशेषकर अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों (ज़िलों) के सामान्य व्यक्तियों को दी गई बैंकिंग सुविधाओं के स्वरूप और व्याप्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक ऋण-प्रवाह, उत्पादों का मूल्यन तथा उचित नये उत्पाद प्रारंभ करने और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किए गए समग्र प्रयासों की क्या स्थिति है ।

(ख) इस प्रकार के मूल्यांकन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी - न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा के संबंध में बैंक की नीति, क्या जमाकर्ताओं को न्यूनतम बैंकिंग सुविधाएं या 'नो फ्रिल्स' बैंकिंग सुविधाएं मिल रहीं हैं, बुनियादी बैंकिंग गतिविधि के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता , अर्थात् - जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, जो कि *अन्य बातों के साथ-साथ* प्राप्त होनेवाली शिकायतों की संख्या और बैंक में उनके समाधान के लिए उपलब्ध व्यवस्था से प्रदर्शित होगी ।

(ग) विभिन्न स्थानों पर बैंकिंग क्षेत्र में प्रतियोगिता के संवर्धन को प्रेरित करने की आवश्यकता ।

(घ) इस संबंध में विनियामक सुविधा भी प्रासंगिक होगी । इसके अंतर्गत शामिल

हैं:

1. न केवल विनियमन के आशय का अनुपालन बल्कि यह भी देखा जाएगा कि क्या बैंक की गतिविधियां विनियमन के अभिप्राय और अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।
2. बैंकिंग समूह के कार्यकलाप और बैंक की अपनी सहायक, संबद्ध तथा सहयोगी संस्थाओं के साथ स्थापित संबंध का स्वरूप ।
3. कार्पोरेट गवर्नेंस की गुणवत्ता, उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ।

(vi) जहां तक क्रियाविधि संबंधी पहलुओं का संबंध है, प्रत्येक शाखा खोलने के लिए समय-समय पर प्राधिकार देने की प्रचलित प्रणाली के स्थान पर समग्र रूप से वार्षिक आधार पर स्वीकृति देने की प्रणाली लागू की गई है। शाखा विस्तार की मध्यावधिक योजना तथा विशिष्ट प्रस्तावों में सभी श्रेणियों की शाखाओं को खोलना/बंद करना/एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, शाखाओं का विलयन तथा शाखाओं का परिवर्तन शामिल है।

(vii) नई शाखा प्राधिकरण नीति के अनुसार बैंकों को शाखाएं खोलने के **"लाइसेंस"** के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है ।

(viii) देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय शाखाएं खोलने के लिए पूर्वानुमति लेनी चाहिए, एक वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की संख्या की 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण (टियर 5 तथा टियर 6) केंद्रों को आबंटित करनी होगी । बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र का अर्थ उन केंद्रों से है जहाँ ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कोई भवन स्थित शाखा नहीं है ।
वार्षिक शाखा विस्तार योजना के अन्तर्गत कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएँ बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोले जाने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, अल्प बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंकिंग सुविधावाले जिलों के टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में खोली जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक शाखा के लिए, जिसमें उपर्युक्त उप-पैरा vii) में निर्दिष्ट अपेक्षा के अनुपालन के लिए बैंकिंग सुविधा रहित केंद्रों में खोली जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी ग्रामीण शाखाओं को शामिल नहीं किया गया है जो अल्प बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंकिंग सुविधा वाले जिलों में स्थित हो सकती हैं, किसी टियर 1 केंद्र में एक अतिरिक्त शाखा खोलने के लिए प्राधिकार दिया गया है। यह प्राधिकार ऊपर वर्णित टियर 1 केन्द्रों में शाखाएँ खोलने के लिए दिये गये प्राधिकार के अतिरिक्त होगा।

(ix) बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएँ खोलने के लिए 3 वर्ष के लक्ष्य को शुरू में ही पूरा करने (प्राथमिकता देने) के बारे में बैंक विचार कर सकते हैं जो उनकी वित्तीय समावेशन योजना (2013-16) के समान अवधि में ही होगी। बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में उस वर्ष की एबीईपी के दौरान अपेक्षित 25 प्रतिशत से अधिक खोली गई शाखाओं के लिए क्रेडिट दिया जाएगा और अगले एबीईपी/ एफ़आईपी के वर्ष में हासिल किए जाने वाले मानदंड के लिए इसे हिसाब में लिया जाएगा।

(x) वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीइपी) के साथ टियर 1 केन्द्रों में विशेषीकृत शाखाएँ खोलने के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जाएँ।

(xi) जहाँ बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलना अर्थक्षम नहीं पाते हैं, वहाँ वे अनुषंगी कार्यालय खोल सकते हैं | अनुषंगी कार्यालय खोलने का आवेदन पत्र संबंधित बोर्ड के अनुमोदन के साथ वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीइपी) में शामिल किया जाना चाहिए | अनुषंगी कार्यालय स्थापित करते समय बैंकों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए |

(क) अनुषंगी कार्यालय आसपास के गाँवों में निश्चित परिसरों में स्थापित किए जाने चाहिए तथा उनका नियंत्रण और परिचालन किसी केंद्रीय गाँव/प्रखंड मुख्यालय स्थित मूल शाखा द्वारा किया जाना चाहिए|

(ख) प्रत्येक अनुषंगी कार्यालय को सप्ताह में कुछ निर्दिष्ट दिवसों को (कम से कम दो दिन) विनिर्दिष्ट घंटों में कार्य करना चाहिए |

(ग) इन कार्यालयों में सभी प्रकार के बैंकिंग लेनदेन किये जा सकते हैं |

(घ) अनुषंगी कार्यालयों के ग्राहकों को गैर-परिचालन दिवसों पर मूल शाखा में लेन देन करने की अनुमति दी जा सकती है |

(ङ) प्रत्येक अनुषंगी कार्यालय में अलग लेजर/रजिस्टर/स्क्रोल रखे जा सकते हैं, लेकिन इन कार्यालयों में किये गये सभी लेन देन मूलशाखा की खाता बहियों में शामिल किये जाने
चाहिए |

(च) मूल शाखा से संबद्ध स्टाफ को अनुषंगी कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, जिसमें अधिमानतः एक पर्यवेक्षीय स्टाफ, एक खजांची-व-लिपिक और एक सशस्त्र प्रहरी होना चाहिए |

(छ) फर्नीचर, मार्गस्थ नकदी आदि के लिए बीमा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए|

(xii) जो बैंक विस्तार काउंटर खोलना चाहते हैं वे मूल आवेदन पत्र (अनुबंध 11झ के अनुसार) पूरी तरह भरकर तथा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करें। बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से विस्तार काउंटर खोलने के लिए प्राधिकरण प्राप्त कर बैंक उन संस्थाओं के परिसर में विस्तार काउंटर खोल सकते हैं जिनके वे मुख्य बैंकर हैं| विस्तार काउंटर ऐसे बड़े कार्यालयों/कारखाने, अस्पताल, सैन्य इकाई, शिक्षा संस्थानों आदि के परिसर के भीतर खोले जा सकते हैं जहाँ स्टाफ/कर्मचारी, विद्यार्थियों आदि की बड़ी संख्या है और जो समान कार्यघंटों के कारण और समुचित दूरी पर बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण अपने बैंकिंग लेनदेन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। विस्तार काउंटरों को सीमित बैंकिंग कारोबार करना चाहिए, जैसे; जमा/निकासी लेनदेन, ड्राफ्ट और मेल अंतरण जारी करना और भुनाना, गिफ्ट चेक की बिक्री, बिल संग्रह, अपने ग्राहकों की मियादी जमाराशियों पर अग्रिम (विस्तार काउंटर पर संबधित पदाधिकारियों की मंजूरी शक्ति के भीतर), सुरक्षित जमा लॉकर की सुविधा (बशर्ते पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है), अपने ग्राहकों को डिपाजिटरी सेवा, बशर्ते बैंक सेबी के साथ डिपाजिटरी प्रतिभागी के रूप में पंजीकृत है| विस्तार काउंटर को अमूर्तिकृत प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण सुविधा नहीं देनी चाहिए और न प्रतिभूति ऋण और उधार सुविधा देनी चाहिए | इसके अलावा, यदि विस्तार काउंटर सरकारी कारोबार करना चाहता है तो उसे संबधित सरकारी प्राधिकारी तथा सरकारी और बैंक लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व

बैंक, केंद्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन लेना होगा | आवासीय कालोनियों, शापिंग काम्प्लेक्स, बाजार और धार्मिक स्थलों आदि पर विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है |

(xiii) टियर 1 केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्राधिकार सामान्यतः टियर 2 से टियर 6 केंद्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी एवं शहरी केंद्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या से अधिक नहीं होगा । भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसा प्राधिकार जारी करते समय इस बात को ध्यान में रखेगा कि क्या एक वर्ष के दौरान खोली जाने वाली कुल शाखाओं की कम-से-कम 25 प्रतिशत शाखाएं बैंकिंग सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में खोली जाने के लिए प्रस्तावित हैं ।

(xiv) टियर 1 केन्द्रों में शाखाएँ खोलने के आवेदन पत्रों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत की गयी शाखाओं की संख्या वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, ग्राहक सेवा आदि में बैंक के कार्य निष्पादन के विवेचनात्मक मूल्यांकन पर भी निर्भर करेगी ।

3.3 विदेशी बैंक

पैराग्राफ 3.1 के द्वारा भारत में शाखाएं खोलने के लिए देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को दी गई सामान्य अनुमति विदेशी बैंकों पर लागू नहीं होगी ।

शाखा प्राधिकरण नीति विदेशी बैंकों पर भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :

i) विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे भारत में पहली शाखा खोलने के समय 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नियत पूंजी लायें ।

ii) केवल एक शाखा वाले वर्तमान विदेशी बैंकों की दूसरी शाखा खोलने के अनुरोध पर विचार करने से पहले, उन्हें उपर्युक्त अपेक्षा का पालन करना होगा ।

iii) विदेशी बैंकों को अपनी शाखा विस्तार योजना वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी होगी ।

iv) भारतीय बैंकों के लिए निर्धारित मापदंडों के अलावा विदेशी बैंकों के लिए निम्नलिखित मापदंडों पर भी विचार किया जाएगा ;

   क) विदेशी बैंक के और उसके समूह के वैश्विक बाज़ारों में अनुपालन और कार्य कलाप के पिछले रिकार्ड पर विचार किया जाएगा । जहां कहीं ज़रूरी होगा वहां उनके देश के पर्यवेक्षकों से सूचना मांगी जाएगी।

   ख) भारत में उपस्थिति वाले विदेशी बैंकों के अपने देशों में समान वितरण को महत्व दिया जाएगा ।

   ग) आवेदक विदेशी बैंक के अपने देश में भारतीय बैंकों के प्रति किये जानेवाले व्यवहार पर विचार किया जाएगा ।

   घ) भारत और उनके अपने देश के बीच द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों पर पर्याप्त विचार किया जाएगा ।

ङ) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में भारत की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी बैंकों के शाखा विस्तार पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार की गणना के लिए शाखाओं की संख्या में एटीएम को शामिल नहीं किया जाएगा ।

तदनुसार, विदेशी बैंकों को बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, **केंद्रीय कार्यालय भवन (12वीं मंज़िल), शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई-400 001** को अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्रस्तुत करनी चाहिए ।

ख. केंद्रों का प्रतिस्थापन

i) देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को टियर 1 से 6 के केन्द्रों में शाखाएं खोलने हेतु सामान्य अनुमति को देखते हुए केन्द्रों के प्रतिस्थापन के लिए कोई भी प्रस्ताव बैंकों के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन किया जाएगा। तथापि, केन्द्रों का प्रतिस्थापन करते समय उपर्युक्त पैरा 3.1 में दिए गए दिशा निर्देशों का का पालन सुनिश्चित किया जाए।

ii) देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) जिनको शाखाएं खोलने के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, शाखा खोलने के लिए केंद्र/स्थान का अंतिम निर्णय करने से पहले बैंक वहां पर शाखा खोलने के लिए कारोबार की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए उचित आकलन करें। सामान्य तौर पर केंद्रों के प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी । फिर भी अपवादात्मक मामलों में वास्तविक समस्या के कारण यदि बैंक प्रस्तावित केंद्र में शाखा खोलने में असमर्थ होता है तो बैंक प्रतिस्थापन के लिए कारणों सहित बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से वर्ष में एक बार संपर्क करें । बैंक नए केंद्र के संबंध में फार्म VI प्रस्तुत करें । ऐसे सभी अनुरोधों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर की जाएगी ।

iii) केंद्रों के प्रतिस्थापन की अनुमति उसी प्रकार के जनसंख्या समूह या कम जनसंख्या समूह के केंद्रों के लिए दी जाएगी बशर्ते बैंक जारी किए गए प्राधिकरण की वैधता अवधि के भीतर शाखा खोलने के लिए आश्वासन दें । इसके अलावा, अपर्याप्त बैंकिंग वाले ज़िलों के केंद्र से ऐसे केंद्र में जो अपर्याप्त बैंकिंग वाले ज़िले में नहीं आता है, प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

ग. शाखाओं का स्थान बदलना

i) सामान्य

(क) शाखाओं का स्थान बदलना, शाखा विस्तार की मध्यावधि कार्पोरेट कार्य नीति का एक हिस्सा होगा। तदनुसार, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यक्ता वाले प्रस्तावों को डीबीओडी, सीओ, आरबीआई को **अनुबंध 5** में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(ख) तथापि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस शाखा का स्थान बदला जा रहा है उसके ग्राहकों को शाखा का वास्तव में स्थान बदलने के पर्याप्त समय पहले सूचित किया जाता है ताकि असुविधा से बचा जा सके ।

(ग) स्थान बदलने के ब्योरे (अर्थात् नया पता, स्थान बदलने की तारीख आदि) शाखा का स्थान बदलने के तुरंत बाद, और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय

कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को अवश्य रिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में लाइसेंस में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं होगा।

(घ) शाखाओं का स्थान बदलने के संबंध में निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों का भी पालन किया जाना चाहिए :

1. नया केंद्र भी वर्तमान केंद्र जितना अथवा उससे कम जनसंख्या समूह का हो, जैसे किसी ग्रामीण केंद्र में स्थित शाखा का स्थान किसी अन्य ग्रामीण केंद्र में ही बदला जा सकता है; और

2. अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले में स्थित किसी शाखा का स्थान किसी अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले में स्थित अन्य केंद्र में ही बदला जा सकता है।

(ङ) 17 जून 2014 को जारी मेल बॉक्स स्पष्टिकरण के अनुसार भारत में स्थित विदेशी बैंकों को अपनी शाखाओं का एक केंद्र से दूसरे केंद्र में स्थान बदलने के लिए बैंकिग परिचालन और विकास विभाग, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

ii) केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) के भीतर स्थान बदलना

रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना केंद्र (शहर/कस्बे/गांव) के भीतर किसी भी स्थान पर शाखा को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता बैंकों को प्रदान की गई है। तदनुसार, इन मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं करें।

iii) **ग्रामीण शाखाएं**

क) ब्लॉक के भीतर

1. नीतिगत आधार पर एकमात्र ग्रामीण शाखा को केंद्र/गांव से बाहर स्थान बदलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उससे वह केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा। तथापि अप्रत्याशित/अपवादात्मक परिस्थितियों (प्राकृतिक आपदाएं, कानून और व्यवस्था की विपरीत स्थिति आदि) के कारण यदि बैंक किसी एकमात्र ग्रामीण शाखा का केंद्र से बाहर स्थान परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, तब जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए और प्रस्ताव को बैंपविवि, केंका,भारिबैं को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. तथापि, रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना बैंक ऐसे केंद्रों से अपनी ग्रामीण शाखाओं का स्थान ब्लॉक के भीतर बदल सकते हैं जहां किसी वाणिज्य बैंक की एक से अधिक शाखाएं हैं। किंतु ग्रामीण शाखाओं का स्थान बदलने पर विचार करते समय बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अधीन इन शाखाओं को सौंपी गयी भूमिका को ध्यान में रखना चाहिए।

ख) ब्लॉक के बाहर

ऐसे केंद्रों में जहां एक से अधिक वाणिज्य बैंक शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा को छोड़कर) हैं, वहां ब्लॉक के बाहर शाखाओं का स्थान बदलने के अनुरोधों को बैंपविवि, केंका,भारिबैं को अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा ऐसे अनुरोधों पर निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा :

1. जिन शाखाओं का स्थान बदला जा रहा है वे 5 वर्ष या उससे अधिक समय से अस्तित्व में हों और पिछले 3 वर्षों से लगातार उन्हें हानि हो रही हो ;

2. ऐसे केंद्रों में स्थित शाखाएं जो कुछ प्राकृतिक जोखिमों को झेल रहे हों, जैसे बाढ़, लैंडस्लाइड या बांध के निर्माण के कारण डूबनेवाले हों या अन्य प्राकृतिक आपदाओं आदि से प्रभावित हों;

3. ऐसे स्थानों पर कार्य कर रही शाखाएं जहां कानून और व्यवस्था की समस्याएं हों या जहां आतंकवादी गतिविधियों के कारण बैंक कार्मिकों और संपत्ति को नुकसान का खतरा हो;

4. ऐसी शाखाएं जहां बैंक द्वारा उपयोग में लाया जा रहा परिसर जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हो या जला हुआ हो/ध्वस्त हो और उस केंद्र में कोई उपयुक्त परिसर उपलब्ध न हो, आदि।

iv) महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी केंद्र

(क) बैंक महानगरीय/शहरी/अर्ध शहरी केंद्रों में केंद्र की म्युनिसिपल राजस्व सीमा अर्थात् शहर/कस्बे के भीतर रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अपने विवेकानुसार अपनी शाखाओं का स्थान बदल सकते हैं।

(ख) बैंक उसी राज्य में (एकमात्र अर्ध-शहरी शाखाओं को छोड़कर, क्योंकि उनका स्थान बदलने से अर्ध-शहरी केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा) महानगरीय, शहरी एवं अर्ध शहरी केंद्रों में अपनी शाखाओं का स्थान भी उपर्युक्त पैरा 17. 1 (घ) में वर्णित न्यूनतम मानदंडों के अधीन बदल सकते हैं।

v) शाखाओं का आंशिक स्थान परिवर्तन

बैंकों को अपनी शाखाओं के अंशत: स्थान परिवर्तन /कुछ कार्यकलापों के स्थान परिवर्तन के अनुमोदन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, अंतरदेशीय बैंकों के लिए शाखा प्राधिकरण प्रभाग और विदेशी बैंकों के लिए अंतराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग) से संपर्क करना होगा। शाखाओं का अंशत: स्थान परिवर्तन रिज़र्व बैंक द्वारा मामला-दर मामला आधार पर निम्नलिखित मानदंडों के अधीन किया जाएगा :

(क) शाखा खोलने के तीन वर्षों के भीतर किसी भी अंशत: स्थान परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) एक <u>कैलेंडर वर्ष</u> में प्रत्येक बैंक को हर महानगरीय केंद्र /राज्य की राजधानी में केवल एक शाखा के अंशत: स्थान परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी।

(ग) अंशत: स्थान परिवर्तन का नया स्थान विद्यमान स्थान से 250 मीटर के दायरे में होना चाहिए।

(घ) एक शाखा के लिए सिर्फ एक अंशत: स्थान परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी। एक बार शाखा को अंशत: स्थान-परिवर्तन की अनुमति मिलने पर, नए स्थान और विद्यमान स्थान दोनों पुन: अंशत: स्थान-परिवर्तन के पात्र नहीं होंगे।

(ड.) अंशत: स्थान परिवर्तन की पात्रता के लिए नए स्थान का क्षेत्रफल विद्यमान स्थान के क्षेत्रफल से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) दोनों परिसरों से एक ही कार्यकलाप नहीं किया जा सकेगा।

घ. शाखाओं का परिवर्तन

i) **विशेषीकृत शाखा का परिवर्तन**

बैंक अपनी विशेषीकृत शाखा को किसी अन्य श्रेणी की विशेषीकृत शाखा या सामान्य बैंकिंग शाखा के रूप में अपने विवेकानुसार परिवर्तन कर सकते हैं । तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के पश्चात् उसका ब्योरा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय. (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को तुरंत और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाता है। लाइसेंस/प्राधिकरण में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी ।

ii) **सामान्य बैंकिंग शाखाओं का किसी भी प्रकार की विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन**

बैंक अपनी सामान्य बैंकिंग शाखाओं को किसी भी प्रकार की विशेषीकृत शाखा के रूप में परिवर्तन के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते बैंक उन सामान्य बैंकिंग शाखाओं के मौजूदा ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखते हैं जिन्हें विशेषीकृत शाखाओं के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है ।
तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि परिवर्तन के पश्चात् उसका ब्योरा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को तुरंत और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर सूचित किया जाता है। लाइसेंस/प्राधिकरण में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी ।

iii) विस्तार पटलों तथा अनुषंगी कार्यालयों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन

क) बैंक अपने विवेकानुसार अपने वर्तमान विस्तार पटलों (ईसी) तथा अनुषंगी कार्यालयों (एसओ) को पूर्ण शाखाओं के रूप में परिवर्तित करने तथा उसी केंद्र के अंतर्गत पुन: स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि बैंकों को चाहिए कि वे विस्तार पटल /अनुषंगी कार्यालय को पूर्ण शाखा में परिवर्तित करने के पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग /बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा में स्थित विस्तार पटल/अनुषंगी कार्यालय के लिए) में विस्तार पटल /अनुषंगी कार्यालय का लाइसेंस (यदि अलग लाइसेंस जारी किया गया हो तो) जमा करें और पूर्ण शाखा के लिए अनुमति पत्र प्राप्त करें।
ख) ऐसे मामलों में जहाँ बैंक अपने विद्यमान विस्तार पटलों तथा अनुषंगी कार्यालयों का पूर्ण शाखाओं में उन्नयन कर उनका अन्य केंद्र में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने बोर्ड की अनुमति तथा पैरा 3.1(vi) में निहित शर्तों के

अधीन ऐसा कर सकते है। जिन बैंकों के पास सामान्य अनुमति नहीं है वहाँ ऐसे प्रस्तावों को बैं.प.वि.वि., के.का. के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना जारी रखना चाहिए।

iv) ग्रामीण शाखा का अनुषंगी कार्यालय में परिवर्तन

सामान्यत: ग्रामीण शाखा का अनुषंगी (सेटेलाइट) कार्यालय में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए । तथापि, अपवादात्मक मामलों में, ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) से अनुमोदन प्राप्त कर ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों को बैं.प.वि.वि., के.का., भारिबैं के विचार हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

ङ. शाखाओं का विलयन

i) सामान्य

(क) बैंकों को चाहिए कि जिस शाखा का विलयन (अंतरणकर्ता शाखा) किया जा रहा है, उसके ग्राहकों को वास्तविक विलयन से पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें होनेवाली असुविधा से बचा जा सके ।

(ख) विलयन के ब्योरे (विलयन की तारीख आदि) बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को शाखा के विलयन के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए ।

(ग) विलयन के बाद विलयित की गयी शाखा (अंतरणकर्ता शाखा) का लाइसेंस (यदि अलग लाइसेंस जारी किया गया हो तो) बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) में निरस्त करने के लिए जमा कर दिया जाना चाहिए ।

(घ) जहां एक समेकित प्राधिकरण एक से अधिक शाखाओं के लिए जारी किया गया हो वहां यह पर्याप्त होगा यदि बैंक किसी विशेष शाखा (संबंधित शाखा को जारी किए गए प्राधिकरण पत्र के अनुबंध के क्रमांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करके) के विलयन की सूचना बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को दे ।

ii) एकमात्र ग्रामीण /अर्ध शहरी शाखा का विलयन

नीतिगत आधार पर एकमात्र ग्रामीण शाखा/अर्ध शहरी शाखा के विलयन की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसी शाखा का उस केंद्र से बाहर स्थित शाखा के साथ विलयन करने से उक्त केंद्र बैंक सुविधा रहित हो जाएगा । तथापि अपवादात्मक/अप्रत्याशित परिस्थितियों (प्राकृतिक आपदा, कानून और व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थिति) में यदि बैंक किसी एकमात्र ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखा का विलयन करने के लिए विवश हो जाए तो जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए और ऐसे प्रस्ताव को वार्षिक योजना में हमारे विचारार्थ शामिल किया

जाना चाहिए । ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा अनुबंध -6 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार हमारे अनुमोदन के लिए हमें प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

iii) **महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी शाखाओं का विलयन**

बैंक रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किये बिना महानगरीय, शहरी और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित किसी एक शाखा का विलयन किसी अन्य शाखा (जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई हो) के साथ कर सकते हैं । अत: ऐसे मामलों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

च. शाखाएं बंद करना

i) **सामान्य**

(क) बैंकों को चाहिए कि जिस शाखा को बंद किया जाना है उसके ग्राहकों को शाखा बंद होने की वास्तविक तारीख से पर्याप्त समय पहले सूचित कर दिया जाए ताकि उन्हें होनेवाली असुविधा से बचा जा सके ।

(ख) शाखा बंद करने के ब्योरे (अर्थात् तारीख आदि) बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को शाखा बंद होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट किये जाने चाहिए ।

(ग) शाखा बंद होने के बाद, शाखा का लाइसेंस /प्राधिकरण (यदि एकल शाखा के लिए अलग से लाइसेंस/प्राधिकरण जारी किया गया हो तो) बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में) को निरस्त करने के लिए जमा किया जाना चाहिए । जहां पर एक से अधिक शाखाओं के लिए समेकित प्राधिकरण जारी किए गए हैं वहाँ बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में)को शाखा विशेष के बंद होने की रिपोर्ट (संबंधित शाखा को जारी किए गए प्राधिकरण पत्र के अनुबंध के करमांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए) करना पर्याप्त होगा।

ii) **ग्रामीण शाखाएं बंद करना**

नीतिगत आधार पर एक मात्र वाणिज्य बैंक शाखा वाले (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ग्रामीण केंद्रों में हानि उठानेवाली शाखाओं को भी, बंद करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे वह केंद्र बैंकिंग सुविधा रहित हो जाएगा। जिस स्थान पर एक से अधिक वाणिज्य बैंक शाखाओं द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है वहां शाखा को बंद करने का प्रस्ताव ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे प्रस्तावों का ब्योरा अनुबंध 9 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iii) **महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी शाखाएं**

बैंकों को <u>रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना</u> महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी केंद्र में किसी भी शाखा को (जिसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई हो), बंद करने की अनुमति है । अत: ऐसे प्रस्तावों को हमारे अनुमोदन के लिए वार्षिक शाखा विस्तार योजना में शामिल नहीं करना चाहिए ।

4. ऑफ साइट एटीएम/ मोबाइल एटीएम स्थापित करना - सामान्य अनुमति

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को एसईजेड सहित उनके द्वारा चयनित केन्द्रों/स्थानों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना ऑफसाईट एटीएम की स्थापना करने की अनुमति है |

(क) ऑफ साइट एटीएम में हुए लेनदेन के कारोबार को संबंधित शाखा /आधारभूत शाखा/ केंद्रीयकृत डाटा केंद्र की बही में अभिलेखित किया जाएगा।

(ख) ऐसे ऑफ साइट एटीएम केंद्र पर सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति तैनात नहीं किया जाएगा।

(ग) बैंक द्वारा एटीएम की नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आपाती व्यवस्था की जाएगी।

(घ) बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि एटीएम के माध्यम से परिचालित होने वाले नोट भलीभाँति सॉर्ट किए गए और परीक्षण किए गए हों।

(ङ) एटीएम स्क्रीन /नेटवर्क पर तीसरी पार्टी के विज्ञापन जैसे अन्य उत्पादकों /व्यापारियों /विक्रेताओं के उत्पाद प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है। तथापि, बैंकों द्वारा एटीएम स्क्रीनों पर अपने उत्पाद प्रदर्शित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

एसईजेड में स्थापित इन एटीएमों में केवल भारतीय रुपये में कारोबार होना चाहिए।

तथापि, यह रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी निदेश के अधीन होगी जिसमें ऑफ साइट एटीएम/ मोबाइल एटीएम बंद करना /स्थान परिवर्तित करना शामिल है। बैंकों को उपर्युक्त आम अनुमति के अंतर्गत खोले गए ऑफ साइट एटीएम/ मोबाइल एटीएम के संबंध में पूर्ण ब्योरों की सूचना, एटीएम परिचालन आरंभ होने के तुरंत बाद और किसी भी हालत में दो सप्ताह में संलग्न फार्मेट (अनुबंध -8 और अनुबंध 10) के अनुसार बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ बैंकिंग परिचालन ओर विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र और गोवा के ऑफ साइट/ मोबाइल एटीएम के मामले में) को भेजनी चाहिए।

ii) बैंकों द्वारा एटीएम के माध्यम से प्रदान की जानेवाली सुविधाएं निम्नानुसार है।

क. जमा / निकासी

ख. व्यक्तिगत पहचान नंबर (पीआईएन) परिवर्तन

ग. चेक बुक की माँग

घ. खातों का विवरण

ङ. शेष राशि की पूछताछ

च. बैंक में उस ग्राहक के खातों या बैंक के विभिन्न ग्राहकों तथा उस केंद्र या देश के भीतर अन्य केंद्रों में अंतर खाता अंतरण

छ. अंतर बैंक निधि अंतरण - बैंक के ग्राहकों तथा अन्य बैंकों के ग्राहकों के बीच निधि का अंतरण

ज. बैंक से लिखित संवाद करने के लिए मेल सुविधा

झ. बिजली बिल, टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता भुगतान

ञ. रेल टिकट जारी करना

ट. उत्पादों की जानकारी

5. मोबाइल शाखाएँ

मोबाइल शाखा की योजना में यह परिकल्पना की गई है कि एक सुरक्षित वैन में बैंक के दो-तीन पदाधिकारीबहियों नकदी तिजोरी आदि के साथ बैठेंगे और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। मोबाइल इकाई विनिर्दिष्ट दिनों/ घंटो में प्रस्तवित स्थलों पर जाएगी। देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी केंद्रों में भी मोबाइल शाखाएँ खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनकी संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध 9) में रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। मोबाइल शाखा को उन गांवों/केंद्रों में नहीं जाना चाहिए जहाँ सहकारी बैंक हैं और उन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ वाणिज्य बैंकों की नियमित शाखाएँ हैं। मोबाइल शाखा को प्रत्येक गांव/स्थान में विनिर्दिष्ट दिनों और विनिर्दिष्ट घंटों में समुचित समय तक रहना चाहिए ताकि ग्राहक उसकी सेवा का सही-सही लाभ उठा सकें। मोबाइल शाखा में किये गये लेनदेन आधार शाखा/डेटा केंद्र की बहियों में रिकार्ड किये जाएँगे। बैंक संबंधित गाँव में मोबाइल शाखा का व्यापक प्रचार कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न स्थलों में "विनिर्दिष्ट दिन और कामकाज के घंटों" के भी ब्यौरे होने चाहिए ताकि स्थानीय ग्राहकों को कोई भ्रम न रहे। इसमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रचारित किया जाना चाहिए। जनता/ग्राहकों को सूचना देने के लिए मोबाइल शाखा के क्षेत्रों में इन ब्यौरों को प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस स्थापित करना

बैंक, अन्य शाखाओं से प्राप्त अनुरोधों पर केवल आंकड़ा प्रसंस्करण, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रसंस्करण, चेक बुक, मांग ड्राफ्ट आदि जारी करना इत्यादि, जैसे बैक ऑफिस कार्य तथा बैंकिंग कारोबार से जुड़े अन्य कार्य करने के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस भी स्थापित कर सकते हैं। ये केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस ग्राहकों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रखेंगे। इन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों/बैक ऑफिसों को सेवा शाखाएं कहा जाएगा तथा इन्हें

सामान्य बैंकिंग शाखाओं के रूप में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी । बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लिए बिना संलग्न फॉर्मेट (अनुबंध 10) में इनकी रिपोर्टिंग के अधीन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/सेवा शाखा स्थापित करने की अनुमति दी गयी है । जिन केन्द्रों में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र/बैक ऑफिस स्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का प्राधिकरण आवश्यक है, वहाँ ऐसे प्रस्ताव वार्षिक शाखा विस्तार योजना में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

7. कॉल सेंटर

चूंकि कॉल सेंटर में कोई बैंकिंग लेनदेन नहीं किया जाता है, अत: पैरा 2 में परिभाषित किये अनुसार "कॉल सेंटर" की स्थापना के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है । फिर भी, कॉल सेंटरों को खोलने, बंद करने और उनका स्थान बदलने के ब्योरे पैरा 12 में बताये अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किये जाने चाहिए ।

8. व्यवसाय सुविधादाता/ व्यवसाय प्रतिनिधि मोडेल

अधिकाधिक व्यक्तियों को वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने (वित्तीय समावेशन) तथा बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को व्यवसाय सुविधादाता/ व्यवसाय प्रतिनिधि मोडेल के उपयोग के माध्यम से, इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यवर्ती संस्थाओं की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है ।

i) व्यवसाय सुविधादाता को नियुक्त करने से संबंधित दिशानिर्देश

"व्यवसाय सुविधादाता" मोडेल के अंतर्गत, बैंक सहायक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी निश्चिंतता के स्तर के आधार पर निम्नलिखित मध्यवर्तियों का उपयोग कर सकते हैं:

क) गैर-सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह
ख) किसान क्लब
ग) सहकारी संस्था
घ) समुदाय आधारित संगठन
ङ) कार्पोरेट संस्थाओं के आइटी सुविधा से युक्त ग्रामीण आउटलेट
च) डाक घर
छ) बीमा एजेंट
ज) सुचारु रूप से कार्यरत पंचायत
झ) ग्रामीण ज्ञान केंद्र
ञ) कृषि क्लिनिक
ट) कृषि व्यवसाय केंद्र
ठ) कृषि विज्ञान केंद्र
ड) खादी और ग्रामोद्योग कमीशन /खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की इकाइयाँ

ऐसी सेवाओं में (i) उधारकर्ताओं की पहचान और कार्यकलापों का निर्धारण; (ii) प्राथमिक जानकारी /आंकड़ों के सत्यापन सहित ऋण आवेदनपत्रों का संग्रहण और प्रारंभिक प्रसंस्करण; (iii) बचत और अन्य उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना एवं धनप्रबंध पर शिक्षा और सलाह तथा ऋण संबंधी परामर्श देना; (iv) आवेदनपत्रों का

प्रसंस्करण और बैंकों को प्रस्तुति; (v) स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त दायित्व समूहों का संवर्धन और विकास; (vi) मंजूरी के बाद निगरानी; (vii) स्वयं सहायता समूहों/संयुक्त दायित्व समूहों/ऋण समूहों/ अन्यों की निगरानी और सहायता करना; तथा (viii) वसूली के लिए अनुवर्ती कारर्वाई शामिल हो सकती हैं।

ii) **व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त करने से संबंधित दिशानिर्देश**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए व्यवसाय प्रतिनिधियों की सेवा ले सकते हैं। बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में नीति निर्धारित कर सकते हैं। व्यवसाय प्रतिनिधियों की नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्तियों/ संस्थाओं के संबंध में समुचित सावधानी बरती जानी चाहिए। समुचित सावधानी बरतने की प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए - (i) प्रतिष्ठा/बाज़ार में स्थान (ii) वित्तीय सुदृढ़ता (iii) प्रबंधन और कार्पोरेट गवर्नेंस (iv) नकद संभालने की क्षमता और (v) वित्तीय सेवाएं देने में प्रौद्योगिकी समाधान कार्यान्वित करने की क्षमता।

क. पात्र व्यक्ति/संस्थाएं

बैंक निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते हैं **:**

(i) व्यक्ति, जैसे, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक, ऐसे व्यक्ति जो किराना/मेडिकल/ उचित मूल्य दुकानों के स्वामी हैं, ऐसे व्यक्ति जो पीसीओ ऑपरेटर हैं, भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं/ बीमा कंपनियों के एजेंट, ऐसे व्यक्ति जो पेट्रोल पंप के स्वामी हैं, बैंकों से जुड़े हुए सुसंचालित स्वयं-सहायता समूहों के प्राधिकृत कार्यकर्ता, सामान्य सेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्तियों सहित कोई अन्य व्यक्ति;

(ii) सोसाइटी/न्यास अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित एनजीओ/लघु वित्त संस्थाएं और धारा 25 कंपनियां;

(iii) परस्पर सहायता प्राप्त सहकारी सोसाइटी अधिनियम/राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियम/बहु राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां;

(iv) डाक घर; और

(v) गैर-बैंकिंग वित्तीय कपंनियों को छोड़कर भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी कंपनियां, जिनके खुदरा केंद्रों का व्यापक जाल हो।

(vi) सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) टियर 1 से टियर 6 के केंद्रो में शाखएं खोलने के लिए सामान्य अनुमति दी गयी है इसे ध्यान में रखते हुए बैंक

निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमाराशि न लेनेवाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) को व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर सकते है:

क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त एनबीएफसी-एनडी की निधि तथा बैंक की निधि आपस में न मिले।

ख) बैंक और एनबीएफसी-एनडी के बीचएक विनिर्दिष्ट संविदात्मक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पारस्परिक हितों में किसी टकराव की संभावना न हो।

ग) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एनबीएफसी-एनडी कोई प्रतिबंधक प्रणाली नहीं अपना रहा है जैसे केवल अपने ग्राहकों को ही बचत या प्रेषण सुविधा देना। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए एनबीएफसी एनडी और बैंकों की सेवाएँ आपस में अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई नहीं हैं।

ख. बीसी मोडल

कोई व्यवसाय प्रतिनिधि एक से अधिक बैंकों का व्यवसाय प्रतिनिधि हो सकता है, परंतु ग्राहक से संपर्क के स्थलों पर व्यवसाय प्रतिनिधि का खुदरा केंद्र या उप-एजेंट केवल एक बैंक का प्रतिनिधित्व करेगा ।

तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि बीसी के खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के स्थान पर (अर्थात ग्राहक संपर्क के स्थलों पर) अन्तर परिचालन करने की अनुमति दी जाये, बशर्ते जिस बैंक ने बीसी को नियुक्त किया है उसके पास उपलब्ध प्रौधोगिकी अन्तर परिचालन को समर्थन करती हो | यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) बीसी के ऐसे खुदरा केंद्रों या उप एजेंटों के पास लेनदेन और पुष्टिकरण आन लाईन किए जाते हों;

(ii) लेनदेन कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर किए जाते हों; और

(iii) बैंक भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की जाने वाली मानक परिचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हों |

ग. व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को नियुक्त करने से संबंधित प्रक्रिया

बैंक और व्यवसाय प्रतिनिधि के बीच की संविदा पर लागू शर्तें लिखित करार में स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए और उनकी कानूनी दृष्टि से पूरी जांच होनी चाहिए । करार बनाते समय बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को जारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोसिन्गं में जोखिम नियंत्रण और आचार संहिता संबंधी दिशानिर्देश में निहित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए । बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों और उनके खुदरा केंद्रों/उप एजेंटों के कार्यों के लिए पूरी तरह जिम्मेवार होंगे ।

घ. गतिविधियों का दायरा

व्यवसाय प्रतिनिधि वही कारोबार करेंगे जो बैंकों के सामान्य बैंकिंग कारोबार हैं।

किसी बीसी की गतिविधियों के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे - (i) उधारकर्ताओं की पहचान, (ii) ऋण आवेदन पत्र एकत्र करना और उनकी प्राथमिक प्रोसेसिंग जिसमें प्राथमिक सूचना/आंकड़ों का सत्यापन शामिल है, (iii) बचत

और अन्य उत्पादों के संबंध में जन-जागृति फैलाना तथा धन प्रबंधन के संबंध में शिक्षण और सलाह देना तथा ऋण संबंधी परामर्श देना; (iv) बैंकों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना और उनकी प्रोसेसिंग करना; (v) स्वयं-सहायता समूह/संयुक्त देयता समूह/ऋण समूह/अन्य समूहों को प्रवर्तित करना, प्रोत्साहित करना और उनकी निगरानी करना; (vi) ऋण मंजूरी के बाद निगरानी करना; (vii) ऋण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना; (viii) अल्प मूल्य वाले ऋणों का वितरण करना; (ix) मूल धन की वसूली/ब्याज एकत्र करना; (x) अल्प मूल्य वाली जमाराशियों का संग्रह; (xi) माइक्रो बीमा/म्युचुअल फंड उत्पाद/पेंशन उत्पाद/अन्य थर्ड पार्टी उत्पादों की बिक्री और (xii) अल्प मूल्य वाले प्रेषणों/अन्य अदायगी लिखतों की प्राप्ति और वितरण तथा (xiii) बैंक नोट और सिक्कों का वितरण।

ङ. `अपने ग्राहक को जानें' (केवाइसी) मानदंड

1 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 2/14.01.001/2011-12 में वर्णित `अपने ग्राहक को जानें' और `धनशोधन निवारण' (एएमएल) सबंधी प्रक्रियाओं तथा इस विषय पर जारी परवर्ती परिपत्रों का सभी मामलों में अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बैंक खाता खोलने की औपचारिकताओं से संबंधित आरंभिक कार्य के लिए बीसी की सेवाएं ले सकते हैं। तथापि, बीसी मोडेल के अंतर्गत केवाइसी और एएमएल मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व बैंकों का रहेगा।

च. ग्राहकों की गोपनीयता

बैंकों को बीसी के पास उपलब्ध ग्राहक सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करनी चाहिए।

छ. सूचना प्रौद्योगिकी स्तर

बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीसी द्वारा प्रयुक्त उपकरण और प्रौद्योगिकी उच्च स्तर के हैं।

ज. दूरी संबंधी मानदंड

बैंकों द्वारा बीसी के खुदरा केंद्र/उप-एजेंट के परिचालनों और गतिविधियों पर पर्याप्त पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए बीसी के प्रत्येक खुदरा केंद्र/उप-एजेंट को एक विशेष बैंक शाखा, जिसे आधार शाखा कहा जाएगा, से संबद्ध करना चाहिए तथा उसे उक्त आधार शाखा के पर्यवेक्षण के अधीन रखना चाहिए। बीसी के खुदरा केंद्र/उप-एजेंट और आधार शाखा के बीच की दूरी सामान्यत: ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में 30 कि. मी. और महानगरीय केंद्रों में 5 कि. मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी संबंधी मानदंड में छूट देने की आवश्यकता हो तो जिला परामर्शी समिति (डीसीसी)/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) अपर्याप्त बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों आदि में मामले के गुण-दोष के आधार पर छूट देने पर विचार कर सकती है।

बैंकों को परिचालनात्मक स्वतंत्रता देने के विचार से तथा बैंकिंग क्षेत्र के तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए दूरी मानदंड से संबंधित शर्तों को हटाने का निर्णय लिया गया है। तथापि, इन बैंकों को वर्तमान दूरी मानदंड को संशोधित करने के सबंध में निर्णय लेने के लिए, व्यवसाय प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में बोर्ड अनुमत नीति तैयार करते समय, बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधि के पर्याप्त पर्यवेक्षण तथा ग्राहकसेवा के प्रावधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

झ. अत्यंत लघु शाखाएँ

वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए बैंक ग्रामीण स्थलों पर ऐसे केंद्र स्थापित करें जहां से बीसी अपना कार्य कर सकें। ये बीसी केंद्र कम लागत वाले सीधे-सादे ईंट और गारे से बने भवन हो सकते हैं। प्रत्येक बीसी किसी आधार शाखा के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। तदनुसार आधार शाखा को बीसी केन्द्रों का पर्यवेक्षण करना होगा, जिसमें आधार शाखा के अधिकारियों द्वारा इन केन्द्रों तथा बीसी के अन्य कार्य स्थलों के आवधिक दौरे शामिल होंगे।

बैंकिंग सेवाओं तक बढ़ती हुई पहुँच के मद्देनजर यह भी महत्वपूर्ण है कि आईसीटी आधारित डिलिवरी मॉडेल के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान की जाएँ। अत:, वर्तमान आधार शाखा तथा बीसी स्थलों के बीच ईंट गारे से बनी भवन आधारित मध्यवर्ती शाखा (अत्यंत लघु शाखा) का होना आवश्यक होगा ताकि बीसी इकाइयों के समूह को समुचित दूरी से समर्थन दिया जा सके। इन अत्यंत लघु शाखाओं को आधार शाखा तथा बीसी स्थलों के बीच इस तरह स्थापित किया जाए कि उनसे 8-10 इकाइयों को 3-4 किलोमीटर की समुचित दूरी से समर्थन प्रदान किया जा सके। इन्हें या तो नए सिरे से स्थापित किया जाए या बीसी स्थलों को परिवर्तित कर स्थापित किया जाए। ऐसी अत्यंत लघु शाखाओं में पास बुक प्रिंटर से जुड़ा एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) टर्मिनल और ग्राहकों के बड़े लेन-देन का परिचालन करने के लिए नकद रखने की एक तिजोरी/सेफ जैसी न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं हों तथा इसका प्रबंधन पूर्णकालिक रूप से बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। यह अपेक्षा की जाती है कि इससे नकद के प्रबंधन, दस्तावेजों के रखरखाव, ग्राहक शिकायत निवारण तथा बीसी परिचालनों का निकट से पर्यवेक्षण जैसे कार्य अच्छी तरह हो पाएंगे। ये शाखाएँ अनुषंगी कार्यालय (14 दिसंबर 1987 के परिपत्र बैं.प.वि.वि. सं. बीएल.बीसी. 72/सी-168(64डी)-87 में उल्लिखित किए गए अनुसार) अथवा नियमित शाखाएँ हो सकती हैं।

बीसी इन अत्यंत लघु शाखाओं से अपना कार्य कर सकते हैं क्योंकि शाखा के साथ जुड़े रहने से उस क्षेत्र में उनकी वैधता तथा विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोगों को उनकी सेवाओं का उपयोग करने में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तथापि यदि भौगोलिक विस्तार के कारण ऐसी व्यवस्थाओं से बीसी के परिचालन के संपूर्ण क्षेत्र में बीसी सेवाएँ आसानी से उपलब्ध न हो सकें तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था का परिणाम यह नहीं हो कि बीसी अपने परिचालन केवल ऐसी शाखाओं में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने तक सीमित रखें।

ञ. कमीशन/शुल्क की अदायगी

बैंक बीसी को तर्कसंगत कमीशन/शुल्क दे सकते हैं, जिनकी दर और मात्रा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए । बीसी के साथ किये गये करार में इसका स्पष्ट उल्लेख रहना चाहिए कि बैंक की ओर से उनके द्वारा दी गयी सेवा के लिए वे ग्राहकों से सीधा कोई शुल्क नहीं लेंगे । कमीशन या प्रोत्साहन की प्रणाली इस प्रकार बनायी जानी चाहिए ताकि केवल ग्राहकों की संख्या या लेनदेन के परिमाण में वृद्धि के कारण कमीशन न बढ़े । पारिश्रमिक में नियत और परिवर्तनशील अंश होना चाहिए जो अन्य बातों के साथ-साथ ग्राहक संतुष्टि की माप या सूचना पर निर्भर होना चाहिए । सेवा में कमी होने की स्थिति में, परिवर्तनशील पारिश्रमिक का कुछ अंश आस्थगित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

बैंकों को (बीसी को नहीं) यह अनुमति दी जाती है कि वे पारदर्शी तरीके से ग्राहकों से तर्कसंगत सेवा प्रभार वसूल सकते हैं।

ट. बीसी के माध्यम से लेनदेन करना

चूंकि व्यवसाय प्रदाता/प्रतिनिधियों जैसे मध्यस्थकों की नियुक्ति में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा संबंधी, कानूनी और परिचालन जोखिम हैं, अत: बैंकों को इन जोखिमों पर समुचित विचार करना चाहिए। बैंकों को किफायती तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाने के अलावा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान अपनाना चाहिए। सामान्यतया लेनदेन बैंक के कोर बैंकिंग समाधान से अविच्छिन्न रूप से जुड़े आइसीटी उपकरणों (हैंडहेल्ड डिवाइस/मोबाइल फोन) के माध्यम से किया जाना चाहिए । लेनदेनों का हिसाब तात्कालिक आधार पर होना चाहिए और ग्राहकों को दृश्य माध्यमों (स्क्रीन आधारित) या अन्य माध्यमों (नामे या जमा पर्ची) से अपनी लेनदेन का तुरंत सत्यापन मिलना चाहिए।

बीसी से संबंधित योजनाएँ बनाते समय बैंकों को खान समूह की रिपोर्ट के अध्याय III में की गयी सिफारिशों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 3 नवंबर 2006 को जारी आउटसोसिग्ं दिशानिर्देशों (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध) से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। बीसी के साथ की गयी व्यवस्था में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा :

i) मध्यस्थकों द्वारा नकदी रखने की उपयुक्त सीमा तथा वैयक्तिक ग्राहक के भुगतान और जमा की सीमा;

ii) ग्राहक से प्राप्त नकदी की प्राप्ति सूचना बैंक की ओर से एक रसीद जारी कर दी जानी चाहिए।

iii) सभी ऑफ-लाइन लेनदेनों का लेखांकन होना चाहिए तथा दिवस की समाप्ति तक बैंक की बहियों में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए; और

iv) ग्राहक के साथ किए गए सभी करारों /संविदाओं में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि बैंक बीसी के सभी कार्यों और त्रुटियों के लिए ग्राहक के प्रति जिम्मेवार होगा।

ठ. आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

बैंकों को अपने व्यवसाय प्रतिनिधियों के कार्य-निष्पादन की विस्तृत समीक्षा वर्ष में कम-से-कम एक बार करनी चाहिए और अपने नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से तथा अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों अर्थात् एसएलबीसी, डीएलसीसी, बीएलबीसी के माध्यम से भी बीसी की गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए। बैंकों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में आवधिक अंतराल पर व्यवसाय प्रतिनिधियों के यहाँ दौरा और ग्राहकों से आमने-सामने बातचीत शामिल होनी चाहिए।

ड. उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय

बैंकों को ग्राहकों के हित की रक्षा करने के लिए हर प्रकार का उपाय करना चाहिए । सुरक्षा के ऐसे कुछ उपाय नीचे दिये जा रहे हैं :

i. एक जन-सभा में गाँव के बुजुर्गों और सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में बैंक के पदाधिकारियों को बीसी के खुदरा केंद्र /उप एजेंट का जनता से व्यक्तिगत परिचय कराना चाहिए ताकि कोई छल-कपट/धोखाधड़ी न हो ।

ii. उत्पाद और प्रक्रियाएँ बैंकों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए तथा बीसी को संबंधित बैंक के अनुमोदन के बिना कोई उत्पाद/प्रक्रिया आरंभ नहीं करनी चाहिए ।

iii. प्रत्येक खुदरा केंद्र/उप एजेंट से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे स्थानीय भाषा में एक सूचना प्रदर्शित करें, जिसमें बैंक के सेवाप्रदाता के रूप में उनकी स्थिति दी जानी चाहिए तथा बीसी का नाम, बैंक की आधार शाखा/नियंत्रक कार्यालय और बैंकिंग लोकपाल के टेलीफोन नं. तथा उस केंद्र में उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए शुल्क की सूचना दी जानी चाहिए ।

iv. बीसी के खुदरा केंद्रों /उप एजेंटों द्वारा दी गयी वित्तीय सेवाओं को ऐसी कंपनी के किसी उत्पाद की बिक्री से नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।

v. विभिन्न सेवाओं के लिए, लिये जाने वाले प्रभार एक ब्रोशर में दर्शाये जाने चाहिए और उन्हें खुदरा केंद्रों /उप एजेंटों के पास उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

vi. बैंकों को स्थानीय भाषाओं में उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम /सामग्री तैयार करनी चाहिए ताकि बीसी/उप एजेंटों में समुचित मनोवृत्ति और क्षमता विकसित की जा सके ।

vii. सामाजिक जाँच के एक उपाय के रूप में आवधिक रूप से प्रखंड स्तर पर बैठकें हो सकती हैं जिनमें उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र में कार्यरत बीसी और उनसे संबंद्ध शाखा प्रबंधकों को बुलाया जाए ताकि वे अपनी कठिनाइयां बता सकें तथा उनसे फीडबैक प्राप्त किया जा सके । अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) जिले में ऐसी बैठकों में शामिल हो सकते हैं तथा प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और नियंत्रक कार्यालयों को ऐसा फीडबैक प्रदान कर सकते हैं ।

viii. बैंक के पास आवश्यक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) होनी चाहिए ताकि बीसी/उप एजेंटों के साथ एजेंसी व्यवस्था समाप्त करने की स्थिति में बाधारहित सेवा सुनिश्चित की जा सके ।

ix. यदि कोई कंपनी एक से अधिक बैंकों का बीसी हो तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के आँकड़े और खातों के ब्यौरे अलग-अलग रखे जाते हैं और वे आपस में नहीं मिल जाते हैं ।

ढ. शिकायत निवारण

बैंकों को बीसी द्वारा दी गयी सेवाओं के संबंध में शिकायत निवारण के लिए बैंक के भीतर एक शिकायत निवारण प्रणाली गठित करनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट माध्यमों से उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए । बैंक के

निर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क टेलीफोन नं. प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। निर्दिष्ट अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों की सच्ची शिकायतें शीघ्र दूर की जाती हैं । बैंक की शिकायत निवारण प्रक्रिया और शिकायतों के उत्तर भेजने के लिए नियत समय सीमा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित होनी चाहिए । यदि कोई शिकायतकर्ता शिकायत जमा करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बैंक से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त करता है तो उसे यह विकल्प रहेगा कि वह अपनी शिकायतों के निपटान के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से संपर्क करे ।

ण. ग्राहक शिक्षण

वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षण, करोबारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए तथा बीसी मोडल अपनाने वाले बैंकों की प्रतिबद्धता का अंग होना चाहिए । बैंकों को अपने ग्राहकों को बैंकिंग आदत के लाभ के संबंध में, उनकी संबंधित जन-भाषा में शिक्षित करने के लिए किये जाने वाले प्रयास में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी चाहिए । बैंकों द्वारा नियुक्त व्यवसाय प्रतिनिधियों के संबंध में सूचना संबंधित बैंकों की वेबसाइटों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए । बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में बीसी मोडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ देने में हुई प्रगति तथा इस संबंध में बैंकों द्वारा की गयी पहल की रिपोर्ट होनी चाहिए । बैंक अपने बीसी मोडल के कार्यान्वयन का व्यापक प्रचार करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जन-भाषा में भी) का भी प्रयोग कर सकते है ।

9. दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग

रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को अपने निदेशक मंडलों की अनुमति से अपने ग्राहकों को (जिसमें व्यक्ति, कंपनी, सरकारी उपक्रम, सरकारी विभाग आदि शामिल हैं) डोर- स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं देने के लिए योजनाएं बनाने की अनुमति दी गई है ।

10. परिसरों का अधिग्रहण

(i) बैंकों को अपने उपयोग के लिए (अर्थात् कार्यालय और स्टाफ के आवास के लिए) लीज़/किराया आधार पर मकान अधिग्रहीत करने, परिसर भाड़े पर लेने, परिसर स्वामियों को किराया जमा/अग्रिम देने, की सभी शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

(ii) शाखाएं खोलने के लिए परिसर अधिगृहीत करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा के स्थान के संबंध में नगर निगम/नगरपालिका/शहरी क्षेत्र प्राधिकरी/ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय मानदंडों/कानूनों का पालन किया जाता है ।

(iii) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी ऐसी शाखाओं/कार्यालयों की सूची जो ऐसे परिसरों से परिचालित हो रहे हैं जिनका विवाद भू-स्वामियों के साथ लंबित है, तिमाही आधार पर, तिमाही के समाप्त होने के एक महीने की अवधि के भीतर, संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक (अर्थात् लंबित विवाद वाली शाखा/कार्यालय रिज़र्व बैंक के जिस क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में कार्यरत हो) को प्रेषित करें। महाराष्ट्र/गोवा में स्थित शाखाओं/कार्यालयों के

संबंध में सूचना क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. केंद्रों का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण

(i) किसी केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का सही वर्गीकरण जैसे, ग्रामीण, अर्ध शहरी, शहरी या महानगरीय, करने के प्रयोजन के लिए बैंक को चाहिए कि राजस्व केंद्र के सही नाम का उल्लेख करे और केवल इलाके का उल्लेख न करे। इस प्रयोजन के लिए खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, तहसीलदार/ नगरपालिका या नगर निगम के कार्यालय/ज़िलाधीश या ज़िला जनगणना प्राधिकारी के कार्यालय से भी वर्गीकरण प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बैंक अपनी वार्षिक योजना प्रस्तावों के साथ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करने से पहले केंद्र के जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण के संबँध में सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 से भी पता कर सकते हैं।

(ii) कस्बों/गांवों/क्षेत्रों के समामेलन के कारण जिलों के बीच गांवों/केंद्रों के आबंटन/पुनर्गठन के फलस्वरूप किसी केंद्र की जनसंख्या श्रेणी में कोई परिवर्तन हो गया हो तो ऐसी स्थिति में बैंकों के प्रधान कार्यालय/ कारपोरेट कार्यालय केंद्रों/स्थान/जिला आदि के परिवर्तनों/पुनर्वर्गीकरण के संबंध में राज्य सरकार/नगर निगम/नगरपालिका शहरी क्षेत्र प्राधिकारी/ग्राम पंचायत अथवा परिवर्तनों का साक्ष्य देने वाले अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त सभी संबंधित दस्तावेजों (राजपत्र अधिसूचना सहित) के साथ सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, सी-8/9, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 से संपर्क करें।

12. भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना देना

(i) क्षेत्रीय कार्यालयों/बैंपविवि., केंका. को सूचना देना

बैंकों को मोबाइल शाखा/ मोबाइल एटीएम सहित किसी नये स्थान पर कारोबार आरम्भ करने, उसे बंद करने, विलयन करने, कारोबार के किसी वर्तमान स्थान की जगह बदलने या परिवर्तन के ब्योरे, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तुरंत और किसी भी हालत में कारोबार आरम्भ करने /बंद करने /विलयन / स्थान बदलने आदि के दो सप्ताह के भीतर सूचित करना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र और गोवा की शाखाओं के संबंध में इसकी सूचना बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को दी जानी चाहिए।

बैंकों द्वारा कॉल सेंटरों को खोलने, बंद करने और स्थान बदलने के ब्योरे भी बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय. (महाराष्ट्र और गोवा के कॉल सेंटरों के संबंध में) को सूचित किये जाने चाहिए।

(ii) शाखा बैंकिंग सांख्यिकी

बैंकों को चाहिए कि वे हर तिमाही के बाद चौदह दिन के भीतर शाखाओं को खोलने, बंद करने, स्थान बदलने, विलय करने और परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रोफार्मा I और II में (**अनुबंध 9**) सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कद्रीय कार्यालय, सी-8/9 बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई – 400 051 तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/ बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग केंद्रीय कार्यालय (महाराष्ट्र तथा गोवा की शाखाओं के संबंध में) को प्रस्तुत करें। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) शाखाओं की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में सूचना निरंतर आधार पर प्रस्तुत की जानी चाहिए। सूचना देने के लिए कुछ न होने की स्थिति में `कुछ नहीं' विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) बैंकों को मोबाइल शाखाओं/ कार्यालयों और मोबाइल एटीएम में परिचालन आरम्भ करने की सूचना (अनुबंध 10) में दिये गये प्रोफार्मे III और IV में भेजनी चाहिए।

परिशिष्ट 3

वार्षिक शाखा विस्तार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान खोली गयी शाखाओं का विवरण

बैंक का नाम:-

31 मार्च की स्थिति--

क्र.सं	विवरण	टीयर-1	टियर-2	टियर-3	टियर-4	टियर-5	टियर-6
1.	1 अप्रैल ---- अर्थात् वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कुल शाखाओं की संख्या						
1.1	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या						
1.2	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं की संख्या						
1.3	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं						
1.4	अन्य						
2.	पिछले वर्ष की अपेक्षा से अधिक खोली गयी शाखाओं की संख्या						
3.	पिछले वर्ष के दौरान न खोली गयी शाखाएं, अर्थात् पिछले वर्ष की अपेक्षा में कमी						
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान खोली गयी कुल शाखाओं की संख्या						
4.1	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या						
4.2	बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में शाखाओं की संख्या						
4.3	कम बैंक सुविधा वाले राज्यों के कम बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या जो बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्रों में नहीं हैं						
4.4	अन्य						
5.	शाखाओं की कुल संख्या 31 मार्च ----- की स्थिति (1 + 2 + 4)						
6.	वर्तमान वर्ष के दौरान न खोली गयी शाखाएं, अर्थात् अपेक्षा में कमी						
7.	वर्तमान वर्ष के दौरान अपेक्षा से अधिक खोली गयी शाखाओं की संख्या						

अनुबंध 2

जनसंख्या के आधार पर केंद्रों के टियर-वार वर्गीकरण का ब्यौरा

(i) केंद्रों का वर्गीकरण (टियर-वार)	**जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)**
टियर 1 -	1,00,000 तथा उससे अधिक
टियर 2-	50,000 से 99,999 तक
टियर 3-	20,000 से 49,999 तक
टियर 4-	10,000 से 19,999 तक
टियर 5-	5,000 से 9,999 तक
टियर 6 -	5000 से कम

(ii) केंद्रों का जनसंख्या -समूह वार वर्गीकरण

ग्रामीण केंद्र	9,999 तक
अर्ध-शहरी केंद्र	10,000 से 99,999 तक
शहरी केंद्र	1,00,000 से 9,99,999
महानगरीय केंद्र	10,00,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या

अनुबंध 3

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों की सूची (अनन्तिम -2001 की जनगणना के आधार पर)

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. कड़पा
4. करीमनगर
5. खम्मम
6. कुर्नूल
7. महबूबनगर
8. मेदक
9. नालगोंडा
10. रंगारेड्डी
11. श्रीकाकुलम
12. विजयनगरम
13. वरंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. चुंगलांग
2. दिबांग वैली
3. ईस्ट कामेंग
4. लोहित
5. लोअर सुबन सिरी
6. तिरप
7. अप्पर सिआंग
8. अप्पर सुबनसिरी

असम

1 बारपेटा
2 बोंगाईगांव
3 कचार
4 दरांग
5 धेमाजी
6 धुबरी
7 डिब्रूगढ़
8 गोलपाड़ा
9 गोलाघाट
10 हैलाकांडी

असम

11. जोरहट
12. कार्बी आंगलांग
13. करीमगंज
14. कोकराझार
15. लखीमपुर
16. मोरीगांव
17. नगांव
18. नलबरी
19. शिवसागर
20. सोनीतपुर
21. तिनसुकिया

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगुसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुइ
12. जेहानाबाद
13. कैमुर
14. कटिहार
15. खगड़िया
16. किशनगंज
17. लखिसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा

बिहार

23. नवादा
24. पश्चिमी चंपारण
25. पूर्वी चंपारण
26. पूर्णिया
27. रोहतास
28. सहरसा
29. समस्तीपुर
30. सारण
31. शेखपुरा
32. शिवहर
33. सीतामढ़ी
34. सीवान
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. दुर्ग
6. जॉजगीर-चंपा
7. जशपुर
8. कंकेर
9. कवर्धा
10. कोरबा
11. कोरिया
12. महासमुंद
13. रायगढ़
14. रायपुर
15. राजनंदगांव
16. सरगुजा

दादरा और नगर हवेली

1. दादरा और नगर हवेली

गुजरात

1. अमरेली
2. बनास कांठा
3. भावनगर

गुजरात

4. दाहोद
5. जूनागढ़
6. नर्मदा
7. पंच महल
8. पाटण
9. साबर कांठा
10. सूरत
11. सुरेंद्रनगर
12. डान्‍स

हरियाणा

1. फतेहाबाद
2. झज्जर
3. जिंद
4. कैथल
5. महेंद्रगढ़

जम्मू और कश्मीर

1. अनंतनाग
2. डोडा
3. कुपवाड़ा
4. पुंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. कोडरमा
12. लोहरदगा
13. पाकुड़
14. पलामू
15. पश्चिमी सिंहभूम

झारखंड

16. साहेबगंज

कर्नाटक

1. बेंगलूर रूरल
2. बीदर
3. चामराजनगर
4. गुलबर्गा
5. कोप्पल
6. रायचूर

केरला

1. मालापुरम

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बड़वानी
3. बैतूल
4. भिंड
5. छत्तरपुर
6. छिंदवाड़ा
7. दमोह
8. दतिया
9. देवास
10. धार
11. डिंडोरी
12. पूर्वी निमाड़
13. गुना
14. हरदा
15. होशंगाबाद
16. झाबुआ
17. कटनी
18. मंडला
19. मंदसौर
20. मुरैना
21. नरसिंहपुर
22. नीमच
23. पन्ना
24. रायसेन
25. राजगढ़

मध्य प्रदेश

26. रतलाम
27. रीवा
28. सागर
29. सतना
30. सीहोर
31. सिवनी
32. शहडोल
33. शाजापुर
34. श्योपुर
35. शिवपुरी
36. सीधी
37. टीकमगढ़
38. उज्जैन
39. उमरिया
40. विदिशा
41. पश्चिमी निमाड़

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अकोला
3. अमरावती
4. औरंगाबाद
5. भंडारा
6. बीड़
7. बुलढ़ाणा
8. धुले
9. गडचिरोली
10. गोंडिया
11. हिंगोली
12. जलगांव
13. जालना
14. कोल्हापुर
15. लातूर
16. नांदेड
17. नंदुरबार
18. नासिक
19. उस्मानाबाद
20. परभणी
21. सातारा

महाराष्ट्र

22. सोलापुर
23. ठाणे
24. वर्धा
25. वाशिम
26. यवतमाल

मणिपुर

1. विष्णुपुर
2. चंदेल
3. चुराचंदपुर
4. इम्फाल ईस्ट
5. इम्फाल वेस्ट
6. तामेंगलाँग
7. थौबाल
8. उखरुल

मेघालय

1. ईस्ट गारो हिल्स
2. साऊथ गारो हिल्स
3. वेस्ट गारो हिल्स

मिज़ोरम

1. लावांगटलाई
2. सैहा

नगालैंड

1. दीमापुर
2. कोहिमा
3. मोकोकचुंग
4. मॉन
5. फेक
6. ट्युएनसंग
7. वोखा
8. जुन्हेबोटो

उड़ीसा

1. अंगुल
2. बालंगीर
3. बालेश्वर
4. बारगढ़

उड़ीसा

5. भद्रक
6. बौध
7. धेनकनाल
8. गजपति
9. गंजम
10. जाजपुर
11. कालाहांडी
12. कंधमल
13. केंद्रपाडा
14. क्योंझर
15. कोरापुट
16. मलकानगिरी
17. मयूरभंज
18. नवरंगपुर
19. नयागढ़
20. नवापाड़ा
21. पुरी
22. रायगढ़
23. सोनपुर
24. सुंदरगढ़

पांडिचेरी

1. यानम

पंजाब

1. मनसा

राजस्थान

1. अलवर
2. बांसवाड़ा
3. बारन
4. बाड़मेर
5. भरतपुर
6. भीलवाड़ा
7. बूंदी
8. चितौड़गढ़
9. चुरू
10. दौसा
11. धौलपुर

राजस्थान

12. डुंगरपुर
13. हनुमानगढ़
14. जालौर
15. झालावाड़
16. झुंझनू
17. जोधपुर
18. करौली
19. नागौर
20. पाली
21. राजसमंद
22. सवाई माधोपुर
23. सीकर
24. टोंक
25. उदयपुर

सिक्किम

1. पश्चिमी सिक्किम

तमिलनाडु

1. कुडलूर
2. धरमपुरी
3. कांचीपुरम
4. नागपट्टिनम
5. पेरांबलूर
6. पुदुकोट्टै
7. रामनाथपुरम्
8. सेलम
9. तिरुवल्लूर
10. तिरुवरूर
11. तिरुवन्नामलै
12. वेल्लूर
13. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. ढलाई
2. उत्तर त्रिपुरा
3. दक्षिण त्रिपुरा
4. पश्चिम त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. इलाहाबाद
4. आंबेडकर नगर
5. ओराइया
6. आज़मगढ़
7. बागपत
8. बहराइच
9. बलिया
10. बलरामपुर
11. बांदा
12. बाराबंकी
13. बरेली
14. बस्ती
15. बिजनौर
16. बदायूं
17. बुलंदशहर
18. चंदौली
19. चित्रकूट
20. देवरिया
21. एटा
22. इटावा
23. फैज़ाबाद
24. फर्रुखाबाद
25. फतेहपुर
26. फिरोज़ाबाद
27. गाज़ीपुर
28. गोंडा
29. गोरखपुर
30. हमीरपुर
31. हरदोई
32. हाथरस
33. जालौन
34. जौनपुर
35. झांसी
36. ज्योतिबाफुले नगर
37. कनौज
38. कौशांबी
39. खीरी
40. कुशी नगर

उत्तर प्रदेश

41. ललितपुर
42. महाराजगंज
43. महोबा
44. मैनपुरी
45. मथुरा
46. मऊ
47. मिर्ज़ापुर
48. मुरादाबाद
49. मुजफ्फर नगर
50. पीलीभीत
51. प्रतापगढ़
52. राय बरेली
53. रामपुर
54. सहारनपुर
55. संत कबीर नगर
56. संत रविदास नगर
57. शाहजहांपुर
58. श्रावस्ती
59. सिद्धार्थनगर
60. सीतापुर
61. सोनभद्रा
62. सुल्तानपुर
63. उन्नाव

पश्चिम बंगाल

1. बांकुरा
2. बर्धमान
3. बीरभूम
4. दक्षिण दिनाजपुर
5. हावड़ा
6. हुगली
7. जलपाइगुड़ी
8. कूच बिहार
9. मालदा
10. मेदिनीपुर
11. मुर्शिदाबाद
12. नदिया
13. उत्तरी 24 परगना
14. पुरुलिया
15. दक्षिणी 24 परगना
16. उत्तर दिनाजपुर

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले जिलों की कुल संख्या :- 375

अनुबंध 4

अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले राज्यों में अपर्याप्त बैंकिंग सुविधावाले जिलों की सूची (2001 की जनगणना के आधार पर)

अरुणाचल प्रदेश

1. चुंगलांग
2. दिबांग वैली
3. ईस्ट कामेंग
4. लोहित
5. लोअर सुबनसिरी
6. तिरप
7. अपर सिआंग
8. अपर सुबनसिरी

असम

1 बरपेटा
2 बोंगाईगांव
3 कचार
4 दरांग
5 धेमाजी
6 धुबरी
7 डिब्रूगढ़
8 गोलपाड़ा
9 गोलाघाट
10 हैलाकांडी
11 जोरहट
12 कार्बी आंगलांग
13 करीमगंज
14 कोकराझार
15 लखीमपुर
16 मोरीगांव
17 नगांव
18 नलबारी
19 शिवसागर
20 सोनितपुर
21 तिनसुकिया

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगुसराय
5. भागलपुर

बिहार

8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर
14. कटिहार
15. खागड़िया
16. किशनगंज
17. लखिसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा
23. नावादा
24. पश्चिमी चंपारण
25. पूर्वी चंपारण
26. पूर्णिया
27. रोहतास
28. सहरसा
29. समस्तीपुर
30. सारण
31. शेखपुरा
32. शिवहर
33. सीतामढ़ी
34. सिवान
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतारी
5. दुर्ग
6. जंजगीर-चंपा

6. भोजपुर
7. बक्सर

छत्तीसगढ़

9. कावर्धा
10. कोरबा
11. कोरिया
12. महासमुंद
13. रायगढ़
14. रायपुर
15. राजनंदगांव
16. सरगुजा

दादरा और नागर हवेली

1. दादरा और नागर हवेली

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. कोडेरमा
12. लोहरदगा
13. पाकुर
14. पलामू
15. पश्चिमी सिंहभूम
16. साहेबगंज

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बड़वानी
3. बैतूल
4. भिंड
5. छतरपुर
6. छिंदवाड़ा
7. दामोह
8. दतिया
9. देवास
7. जशपुर
8. कंकेर

मध्य प्रदेश

14. हरदा
15. होशंगाबाद
16. झाबुआ
17. कटनी
18. मंडला
19. मंदसौर
20. मुरैना
21. नरसिंहपुर
22. नीमच
23. पन्ना
24. रायसेन
25. राजगढ़
26. रतलाम
27. रीवा
28. सागर
29. सतना
30. सीहोर
31. सिवनी
32. शहडोल
33. शाजापुर
34. शिवपुर
35. शिवपुरी
36. सीधी
37. टीकमगढ़
38. उज्जैन
39. उमरिया
40. विदिशा
41. पश्चिमी निमाड़

मणिपुर

1. विष्णुपुर
2. चंदेल
3. चुरचंदपुर
4. इम्फाल ईस्ट
5. इम्फाल वेस्ट
6. तामेंगलाँग
7. थौबाल
8. उखरुल

10. धार

11. डिंडोरी

12. पूर्वी निमाड़

13. गुना

मिझोराम

1 लांगटलाई

2 सैहा

नगालैंड

1 दीमापुर

2 कोहिमा

3. मोकोकचुंग

4. मॉन

5. फेक

6. ट्युएनसंग

7. वोखा

8. जुन्हेबोटो

उड़ीसा

1 अंगुल

2 बालंगीर

3 बालेश्वर

4 बारगढ़

5 भद्रक

6 बौध

7 धेनकनाल

8 गजपति

9 गंजाम

10 जाजपुर

11 कालाहांडी

12 कंधमाल

13 केंद्रपाड़ा

14 केओनझार

15 कोरापुट

16 मालकाँगिरी

17 **मयूरभंज**

18 **नवरंगपुर**

19 नयागढ़

20 नवापाड़ा

21 पुरी

22 रायगढ़

मेघालय

1 ईस्ट गारो हिल्स

2 साऊथ गारो हिल्स

3 वेस्ट गारो हिल्स

5 भरतपुर

6 भीलवाड़ा

7 बूंदी

8 चितौड़गढ़

9 चुरू

10 दौसा

11 धौलपुर

12 डुंगरपुर

13 हनुमानगढ़

14 जालौर

15 झालावाड़

16 झुंझनू

17 जोधपुर

18 करौली

19 नागौर

20 पाली

21 राजसमंद

22 सवाई माधोपुर

23 सीकर

24 टोंक

25 उदयपुर

त्रिपुरा

1 ढलाई

2 उत्तर त्रिपुरा

3 दक्षिण त्रिपुरा

4 पश्चिम त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

1 आगरा

2 अलीगढ़

3 इलाहाबाद

4 आंबेडकर नगर

5 ओरइया

6 आज़मगढ़

7 बागपत

23 सोनेपुर
24 सुंदरगढ़

राजस्थान

1 अलवर
2 बांसवाड़ा
3 बारन
4 बाड़मेर

उत्तर प्रदेश

15 बिजनौर
16 बदायूं
17 बुलंदशहर
18 चंदौली
19 चित्रकूट
20 देवरिया
21 एटा
22 इटावा
23 फैज़ाबाद
24 फर्रुखाबाद
25 फतेहपुर
26 फिरोज़ाबाद
27 गाज़ीपुर
28 गोंडा
29 गोरखपुर
30 हमीरपुर
31 हरदोई
32 हाथरस
33 जालौन
34 जौनपुर
35 झांसी
36 ज्योतिबाफुले नगर
37 कन्नौज
38 कौशांबी
39 खिरी
40 कुशी नगर
41 ललितपुर
42 महाराजगंज
43 महोबा
44 मैनपुरी
45 मथुरा

8 बहराइच
9 बलिया
10 बलरामपुर
11 बांदा
12 बाराबंकी
13 बरेली
14 बस्ती

उत्तर प्रदेश

55 संत कबीर नगर
56 संत रविदास नगर
57 शाहजहांपुर
58 श्रावस्ती
59 सिद्धार्थनगर
60 सीतापुर
61 सोनभद्र
62 सुल्तानपुर
63 उन्नाव

पश्चिम बंगाल

1 बांकुरा
2 बर्धमान
3 बीरभूम
4 दक्षिण दिनाजपुर
5 हावड़ा
6 हुगली
7 जलपाइगुड़ी
8 कूच बिहार
9 मालदा
10 मेदिनीपुर
11 मुर्शिदाबाद
12 नदिया
13 उत्तर 24 परगना
14 पुरुलिया
15 दक्षिण 24 परगना
16 उत्तर दिनाजपुर

जम्मू एंड कश्मीर

1. अनंतनाग
2. डोडा
3. कूपवाड़ा
4. पुंछ

46	मऊ
47	मिर्ज़ापुर
48	मुरादाबाद
49	मुजफ्फर नगर
50	पीलीभीत
51	प्रतापगढ़
52	राय बरेली
53	रामपुर
54	सहारनपुर

कम बैंक सुविधावाले राज्यों में कम सुविधावाले जिलों की कुल संख्या - 296

अनुबंध 5

बैंक का नाम :

शाखाओं का स्थान एक केंद्र से दूसरे केंद्र में बदलने का प्रस्ताव

क्रम सं.	शाखा का नाम (केंद्र/ स्थान)	ज़िला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	किस स्थान पर बदलना प्रस्तावित है (केंद्र का नाम)	दोनों केंद्रों के बीच की दूरी	शाखा कितने वर्ष से हानि उठा रही है	स्थान बदलने के लिए कारण	डीसीसी # अनुमोदन का विवरण	टिप्पणी

 # (डीएलसीसी/डीसीसी अनुमोदन के कार्य विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें शाखा के स्थान परिवर्तन के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों)

अनुबंध 6

बैंक का नाम :

शाखाओं के विलयन के प्रस्ताव

क्रम सं.	शाखा का नाम (केंद्र/ स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	ज़िला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	किस शाखा के साथ विलयन प्रस्तावित है (शाखा का नाम)	दोनों शाखाओं के बीच की दूरी	विलयन के लिए कारण	डीसीसी # अनुमोदन का विवरण	टिप्पणी

* *सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए भी ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन अपेक्षित है ।*

 # डीएलसीसी/डीसीसी अनुमोदन के कार्य विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें शाखा विलयन के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों।

अनुबंध 7

बैंक का नाम :

शाखाएं बंद करने के प्रस्ताव

क्रम सं.	बंद की जानेवाली शाखा (केंद्र/स्थान)	शाखा की जनसंख्या श्रेणी	ज़िला	राज्य	केंद्र में अन्य बैंक की शाखा का नाम	बंद करने के लिए कारण	डीसीसी # अनुमोदन का विवरण	टिप्पणी

- *सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत जिम्मेदारी सौंपी गई अर्ध-शहरी शाखाओं के लिए भी ज़िला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है ।*

 # डीएलसीसी/डीसीसी अनुमोदन के कार्य विवरण की प्रति संलग्न की जानी चाहिए जिसमें शाखा बंद करने के कारण विनिर्दिष्ट किए गए हों।

अनुबंध 8

बैंकों द्वारा ऑफ साइट एटीएम के परिचालन के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

क्र. सं.	पूरा पता	केंद्र	केंद्र का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण (ग्रामीण/ अर्धशहरी/ शहरी/ महानगरीय)	ज़िला	क्या अल्प बैंकिंग सुविधायुक्त ज़िला है या नहीं	राज्य	ऑफ साइट एटीएम के परिचालनगत होने की तारीख

अनुबंध 9

प्रोफार्मा - I

बैंकों द्वारा नयी शाखा /कार्यालय/एनएआइओ खोले जाने पर प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी /तिमाही आधार पर

(कृपया प्रोफार्मा I तथा II भरने से पूर्व अनुदेश पढ़ें)

मदें

1. (क) वाणिज्य बैंक /**अन्य वित्तीय संस्था** / सहकारी संस्था का नाम : ____________

(ख) निम्नलिखित के लिए प्रोफार्मा :

बैंक की शाखा / कार्यालय ( )

ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआईओ) ( )

अन्य वित्तीय संस्था की शाखा / कार्यालय ( )

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

(ग) एकसमान कूट : भाग I (7/9 अंक) : [| | | | | |] [|]

(अनुदेश **I, II, III** देखें; **स्पष्टीकरण भी देखें**) (**एनएआईओ** के लिए)

भाग -II (7 अंक) : [| | | | | |]

(भारतीय रिज़र्व बैंक आबंटित करेगा)

(अनुदेश **I,II,III** देखें; **स्पष्टीकरण भी देखें**)

2. (क) नयी **शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय** का नाम :

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक संदर्भ संख्या ____________________

तथा संदर्भ तारीख : [|] / [|] / [| | |]

दिन माह वर्ष

(ग) लाइसेन्स (प्राधिकरण) संख्या /अनुबंध क्रमांक : ___________________

(भारिबैं से प्राप्त संख्या)

(घ) लाइसेन्स (प्राधिकरण) की तारीख : [|] / [|] / [| | |]

(स्पष्टीकरण देखें) दिन माह वर्ष

(ङ) क्या यह लाइसेन्स (प्राधिकरण) के पुनर्वैधीकरण का मामला है :

हां ( ) नहीं ( )

यदि हां, तो पुनर्वैधीकरण की तारीख दें (स्पष्टीकरण देखें) :

[|] / [|] / [| | |]

दिन माह वर्ष

3. नयी **शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,** को खोलने की तारीख **:** |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
दिन माह वर्ष

4. डाक पता :

4.1 भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि कोई हो) : ____________________

4.2 सड़क का नाम (यदि कोई हो) : ____________________

4.3 (क) डाक घर का नाम : ____________________

(ख) पिन कोड : |_|_|_|_|_|_|

4.4 केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ____________________
(स्पष्टीकरण देखें)

4.5 तहसील /तालुका /उप-मंडल का नाम : ______________

4.6 टेलीफोन नं./टेलेक्स नं. (एसटीडी कोड सहित) : _________

4.7 फैक्स नं. : ________________

4.8 ई-मेल पता : ______________

5. (क) केंद्र का नाम (राजस्व गांव /शहर /नगर /नगरपालिका / नगर निगम) जिसकी सीमाओं के भीतर शाखा / कार्यालय स्थित है :

____

(<u>यह अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है</u> : स्पष्टीकरण देखें)

(ख) सामुदायिक विकास खंड / विकास खंड /तहसील /तालुका / उप-मंडल / मंडल / पुलिस थाने का नाम : **--------------------------------**

(ग) ज़िले का नाम : ________________________

(घ) राज्य का नाम : ________________________

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र (राजस्व इकाई) की जनसंख्या : ______________
(स्पष्टीकरण देखें)

6. **क्या आपके केंद्र में** अपनी शाखा / कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय के अलावा कोई अन्य प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र बैंक

शाखा (शाखाएं) / कार्यालय है / हैं : हां : ( ) नहीं : ( )

(स्पष्टीकरण देखें तथा उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

7. (क) नयी **शाखा /कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** ऐसे कार्यालय की व्यावसायिक स्थिति (स्पष्टीकरण देखें):

कूट | | | स्थिति **नाम** : ______________________

(ख) जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ऐसे कार्यालय के मामले में निम्नलिखित ब्योरे दें (स्पष्टीकरण देखें) :

(i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : ______________________

(ii) आधार शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या

भाग -I (7 अंक) : | | | | | | | |

भाग -II (7 अंक) : | | | | | | | |

8. (i) (क) केंद्र सरकार के कारोबार की स्थिति :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

केंद्र सरकार के कारोबार का प्रकार

(1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है

(2) ( ) प्रत्यक्ष कर

(3) ( ) विभागीकृत मंत्रालयों का खाता (डीएमए)

(4) ( ) पेन्शन

(5) ( ) बांड निर्गम

(6) ( ) अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : ________________

(ख) राज्य सरकार के कारोबार की स्थिति (अर्थात् राजकोषीय / उप-राजकोषीय कारोबार) : **(समुचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)**

राजकोषीय /उप-राजकोषीय कारोबार का प्रकार (राज्य सरकार)

(1) ( ) सरकारी कारोबार नहीं है

(2) ( ) राजकोषीय कारोबार

(3) ( ) उप-राजकोषीय कारोबार

(4) ( ) पेन्शन

(5)   (   )   बांड निर्गम

(6)   (   )   अन्य (यदि कुछ है तो उल्लेख करें) : ________________

(ii) क्या इस शाखा /कार्यालय से मुद्रा तिजोरी (करेन्सी चेस्ट) संबद्ध है : हां ( ) नहीं ( )

(अ) यदि `हां' तो निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) करेन्सी चेस्ट का प्रकार : क (   ) ख (   ) ग (   )
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं ।

(ख)करेन्सी चेस्ट की स्थापना की तारीख : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट कूट संख्या : |_|_|_|_|_|_|_|_|
(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित **8 अंकीय** कूट संख्या यहां लिखें)

(घ) जहां करेन्सी चेस्ट स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :
("क्षेत्र का प्रकार" कूट का उल्लेख करें; स्पष्टीकरण देखें)

कूट |_| क्षेत्र का प्रकार : ____________________

(आ) यदि `नहीं' तो, करेन्सी चेस्ट सुविधा वाली निकटतम शाखा /कार्यालय का विवरण दें :

(क) बैंक का नाम : ________________________

(ख) शाखा का नाम : ________________________

(ग) एकसमान कूट संख्या का भाग - I: |_|_|_|_|_|_|_|

(घ) दूरी (कि.मी. में) : ______________________

(ङ) केंद्र का नाम : ________________________

(iii) क्या इस शाखा /कार्यालय से कोई आधान (रिपोजिटरी) संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(iv) क्या इस शाखा/कार्यालय से छोटे सिक्कों का डिपो संबद्ध है ? हां ( ) नहीं ( )
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(v) **क्या करेन्सी चेस्ट /रिपोजिटरी /छोटे सिक्कों का डिपो सुविधा वाली शाखा से कोई ऐसा कार्यालय संबद्ध है जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है ?**

हां ( ) नहीं ( )

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

9. शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है द्वारा संचालित कारोबार का स्वरूप :
(उचित खाने /खानों में सही (√) निशान लगाएं)

<u>नाम</u>

(1) ( ) बैंकिंग कारोबार
(2) ( ) मर्चंट बैंकिंग कारोबार
(3) ( ) विदेशी मुद्रा
(4) ( ) स्वर्ण जमा
(5) ( ) बीमा
(6) ( ) प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय
(7) ( ) प्रशिक्षण केंद्र
(8) ( ) अन्य (यदि कोई है तो कृपया उल्लेख करें) : __________

10. (क) शाखा / कार्यालय की
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी : ए ( ) बी ( ) सी ( )
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

(ख) प्राधिकार देने की तारीख : [|] / [|] / [| | |]
दिन माह वर्ष

(ग) `सी' श्रेणी के कार्यालय के मामले में, उस `ए' अथवा `बी' श्रेणी की शाखा / कार्यालय का नाम तथा एकसमान कूट संख्याएं लिखें जिसके माध्यम से उसके विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निपटान होता है :

(i) शाखा /कार्यालय का नाम : ____________________

(ii) शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्याएं :

<u>भाग - I:</u> [| | | | | |] <u>भाग - II :</u> [| | | | | |]
(7 अंक) (7 अंक)

11. शाखा /कार्यालय की प्रौद्योगिकी सुविधा :
(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

<u>प्रौद्योगिकी सुविधा</u>

(1) (   ) अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है

(2) (   ) अंशत: कंप्यूटरीकृत

(3) (   )   पूर्णत: कंप्यूटरीकृत

12. शाखा /कार्यालय / जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय में उपलब्ध संचार सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) निशान लगाएं)

<u>संचार सुविधा</u>

(1) (   ) कोई नेटवर्क नहीं है

(2) (   ) इन्फीनेट

(3) (   ) इंटरनेट

(4) (   ) इंट्रानेट

(5) (   ) कोर बैंकिंग सोल्यूशन

(6) (   ) अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ___________

13. शाखा / कार्यालय /जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं ऐसे कार्यालय के लिए मैग्नेटिक इंक कोड रीडर (माइकर कूट) संख्या : _______________________

14. कोई अन्य विवरण (कृपया उल्लेख करें) : __________________________

---

15. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए :

(क) एडी क्षेत्र कार्यालय कूट :

(ख) जनगणना वर्गीकरण कूट :

(ग) पूर्ण डाक पता :

प्रोफार्मा - II

बैंकों द्वारा विद्यमान शाखा /कार्यालय/एनएआइओ की स्थिति /विलयन /परिवर्तन/बंद आदि करने पर रिज़र्व बैंक को तत्काल प्रभाव से प्रस्तुत की जानेवाली विवरणी /तिमाही आधार पर :

(कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व सभी अनुदेश तथा स्पष्टीकरण पढ़ें। प्रोफार्मा - II में विभिन्न मदों के समक्ष कोष्ठकों में दी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियां संलग्न "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण" के अंतर्गत दर्शाए गए प्रोफार्मा - I की मद संख्याओं से संबंधित हैं)

बैंक /अन्य वित्तीय संस्था /सहकारी संस्था का नाम :-

____

अ. **शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की स्थिति/ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी / व्यवसाय के स्वरूप / डाक पते में हुआ परिवर्तन :**

1. **शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें):

   (क) **पुराना नाम :** ______________________________

   (ख) **वर्तमान नाम :** ______________________________

   (ग) नाम में परिवर्तन करने की तारीख [|]/[|]/[| | |]
   दिन माह वर्ष

2. एकसमान कूट (विद्यमान)

   (क) भाग - I (7/9 अंक) : [| | | | | |] [|]

   (ख) भाग - II (7 अंक) : [| | | | | |]

3. **शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** के व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन (मद सं. 7 (क) में स्पष्टीकरण देखें) :

   क) पुरानी स्थिति का नाम : __________________________ : कूट [|]

   ख) वर्तमान स्थिति का नाम : __________________________: कूट [|]

   ग) स्थिति के परिवर्तन की तारीख (यदि हो) : [|]/[|]/[| | |]
   दिन माह वर्ष

4. व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन :

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

(क)	*<u>पुराना</u>*	*<u>नाम</u>*	*<u>वर्तमान</u>*
(1)	*( )*	*बैंकिंग व्यवसाय*	*( )*
(2)	*( )*	*वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवसाय*	*( )*
(3)	*( )*	*विदेशी मुद्रा*	*( )*
(4)	*( )*	*स्वर्ण जमा*	*( )*
(5)	*( )*	*बीमा*	*( )*
(6)	*( )*	*प्रशासनिक /नियंत्रक कार्यालय*	*( )*
(7)	*( )*	*प्रशिक्षण केंद्र*	*( )*
(8)	*( )*	*अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें)*	*( )*

ख) व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन की तारीख (यदि हो) ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

दिन माह वर्ष

5. (क) **शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** की प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन :

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

<u>पुराना</u>		<u>प्रौद्योगिक सुविधा</u>	<u>वर्तमान</u>
(1)	( )	अब तक कंप्यूटरीकृत नहीं है	( )
(2)	( )	अंशत: कंप्यूटरीकृत	( )
(3)	( )	पूर्णत: कंप्यूटरीकृत	( )

(ख) प्रौद्योगिक सुविधा में परिवर्तन की तारीख :

☐☐/☐☐/☐☐☐☐

दिन माह वर्ष

6. **(क) शाखा /कार्यालय / प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** में संचार सुविधा :

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

<u>पुराना</u>		***<u>संचार सुविधा</u>***	***<u>वर्तमान</u>***
(1)	***( )***	***नेटवर्क नहीं है***	***( )***
(2)	***( )***	***इंफीनेट***	***( )***
(3)	***( )***	***इंटरनेट***	***( )***

(4) ( ) *इंट्रानेट* ( )

(5) ( ) *कोर बैंकिंग सोल्यूशन* ( )

(6) ( ) *अन्य* ( )

(कोई है तो कृपया उल्लेख करें) ______________

संचार सुविधा में परिवर्तन की तारीख |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

दिन माह वर्ष

7. शाखा /कार्यालय की प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी दें :

क) पुरानी श्रेणी : ________________________

ख) नयी /परिवर्तित श्रेणी : ________________________

आगे, उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं :

दर्जा बढ़ाया गया ( ) दर्जा घटाया गया ( ) नये रूप से प्राधिकृत ( )

ग) दर्जा बढ़ाने/दर्जा घटाने/प्राधिकार देने की तारीख

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

दिन माह वर्ष

घ) यदि सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा को विदेशी मुद्रा व्यवसाय संभालने का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है और वह प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी `सी' की शाखा है तो जिस संपर्क शाखा /कार्यालय के माध्यम से उसके लेनदेनों की रिपोर्ट होती है उसकी एकसमान कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) : |_|_|_|_|_|_|_|

भाग - II (7 अंक) : |_|_|_|_|_|_|_|

ङ) यदि विद्यमान `सी' श्रेणी शाखा का संपर्क कार्यालय बदल दिया गया है, तो नये संपर्क कार्यालय की भाग-I तथा II कूट संख्या दें :

भाग - I (7 अंक) : |_|_|_|_|_|_|_|

भाग - II (7 अंक) : |_|_|_|_|_|_|_|

च) यदि `ए` /`बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा का दर्जा घटाकर उसे `सी' श्रेणी का कर दिया गया है, तो उस संपर्क शाखा / कार्यालय की एकसमान कूट संख्या दें जिसके माध्यम से दर्जा घटायी गयी `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के लेनदेनों को रिपोर्ट किया जाता है :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - II (7 अंक) :

छ) यदि `ए' /`बी' श्रेणी की प्राधिकृत व्यापारी शाखा, जो कि एक अथवा अधिक `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, का दर्जा घटाकर उसे `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा बना दिया गया है, तो उन प्राधिकृत व्यापारी (रियों) की भाग-I कूट संख्या (एं) दें जिसे (जिन्हें) उक्त`सी' श्रेणी शाखा (ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है।

`सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट सं.		संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट सं.	
भाग - I :		भाग - I :	
भाग - I :		भाग - I :	
भाग - I :		भाग - I :	

(यदि `सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

ज) यदि अकेले ही सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करने वाली शाखा /`सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा को `ए'/`बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा का कार्य सौंपा जाता है अथवा उसका दर्जा बढ़ाया जाता है, तो नये तौर पर दर्जा बढ़ाई गई प्राधिकृत व्यापारी शाखा से जुड़ने वाली सभी `सी' श्रेणी शाखाओं की भाग -I कूट संख्या दें:

भाग - I (7 अंक) :

भाग - I (7 अंक) :

भाग - I (7 अंक) :

(यदि `सी' श्रेणी शाखाओं की सूची बड़ी है, तो सूची संलग्न करें)

8. करेंसी चेस्ट /रिपोज़िटरी /सिक्का डिपो /सरकारी कारोबार आदि की स्थिति में परिवर्तन यदि है, तो उससे संबंधित ब्यौरे (खोलने/अंतरण /परिवर्तन /बंद करने सहित)। अंतरण /परिवर्तन /बंद करने के इन सभी मामलों में तारीख का भी उल्लेख करें

(क) (i) केंद्र सरकार का कारोबार

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

पुराना		*सरकारी कारोबार का प्रकार*	*नया*
(1)	*( )*	*सरकारी कारोबार नहीं है*	*( )*
(2)	*( )*	*प्रत्यक्ष कर*	*( )*
(3)	*( )*	*विभागीकृत मंत्रालय लेखा (डीएमए)*	*( )*
(4)	*( )*	*पेन्शन*	*( )*
(5)	*( )*	*बांड निर्गम*	*( )*
(6)	*( )*	*अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें): _____*	*( )*

(ii) परिवर्तन की तारीख : [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

(ख) (i) राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार (राज्य सरकार का कारोबार)

(उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

पुराना		*राजकोषीय /उप राजकोषीय कारोबार का प्रकार*	*नया*
(1)	*( )*	*सरकारी कारोबार नहीं है*	*( )*
(2)	*( )*	*राजकोषीय कारोबार*	*( )*
(3)	*( )*	*उप राजकोषीय कारोबार*	*( )*
(4)	*( )*	*पेन्शन*	*( )*
(5)	*( )*	*बांड निर्गम*	*( )*
(6)	*( )*	*अन्य (कोई है तो कृपया उल्लेख करें):_______*	*( )*

(ii) परिवर्तन की तारीख : [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

(ग) करेन्सी चेस्ट का प्रकार बताएं :

<u>पुरानी</u> : (   )   <u>वर्तमान</u> : (   )

परिवर्तन की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

(घ) यदि करेन्सी चेस्ट के लिए नये तौर पर प्राधिकार दिये गये हैं तो निम्नलिखित को दर्शाएं :

(i) करेन्सी चेस्ट का प्रकार (उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं) :

क ( ) ख ( ) ग ( )

(ii) प्राधिकार देने की तारीख : [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]

दिन माह वर्ष

(iii) करेन्सी चेस्ट कूट सं. : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा आबंटित 8 अंकीय कूट संख्या लिखें)

(iv) करेंसी चेस्ट जहां स्थित है उस क्षेत्र के प्रकार का उल्लेख करें :

(`क्षेत्र का प्रकार' कूट संख्या दें : स्पष्टीकरण देखें)

<u>कूट संख्या :</u> [ ] **<u>क्षेत्र का प्रकार :</u>** ____________________

(ङ) रिपोज़िटरी : ______________________

(च) सिक्का-डिपो : ______________________

9. पूरा डाक पता : (मद संख्या 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें)

(i) <u>पुराना</u>

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ____________________

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : ______________________

(ग) (i) डाक घर का पता : ______________________

(ii) पिन कोड : [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ____________________

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : ______________________

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /
पुलिस थाने का नाम : ________________________________

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : ______________

(ज) फैक्स सं. : _____________________

(झ) **ई-मेल पता :** ____________________

(ii) **<u>वर्तमान</u>**

(क) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ______________

(ख) सड़क का नाम (यदि हो) : _______________________

(ग) (i) डाक घर का पता : _______________________

(ii) पिन कोड : | | | | | | |

(घ) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ____________________

(ङ) केंद्र का नाम (राजस्व इकाई) : ___________________________

(च) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /मंडल /

पुलिस थाने का नाम : ________________________________

(छ) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : _______________

(ज) फैक्स सं. : ________________

(झ) **ई-मेल पता :** ______________

(iii)) पते में परिवर्तन की तारीख | | |/| | |/| | | | |
दिन माह वर्ष

10. (i) **यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** को अलग केंद्र (राजस्व इकाई) पर पुन: स्थापित किया गया है तो वर्तमान केंद्र के ब्योरे दें :

[(क), (ख), (ग) तथा (च) के लिए क्रमश: मद सं. 2(क), 5(क), 5(ख) तथा 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें]

(क) **शाखा /कार्यालय/ प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का नाम :

____

(ख) राजस्व इकाई (केंद्र का नाम) : ____________________

(ग) सामुदायिक विकास खंड /विकास खंड /तहसील /तालुका /उप-प्रभाग /
मंडल /पुलिस थाने का नाम : ______________________

(घ) जिले का नाम : _______________________

(ङ) राज्य का नाम : ______________________

(च) केंद्र की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना के अनुसार) : __________________

(ii) **केंद्र में परिवर्तन की तारीख** [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

11. **यदि शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय को अलग केंद्र पर पुन:स्थापित किया गया है तो पुन:स्थापन के कारण दें : _________________**

(क) लाइसेंस सं. : ___________________

(ख) भा.रि.बैं. के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा _______________में लाइसेंस को उचित रूप से संशोधित करने की तारीख :

[ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

(ग) भा.रि.बैं. के केंद्रीय कार्यालय के अनुमोदन की संदर्भ सं.तथा तारीख :

संदर्भ सं. ________ तारीख: [ ][ ]/[ ][ ]/[ ][ ][ ][ ]
दिन माह वर्ष

12. किसी प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय की आधार शाखा /कार्यालय का परिवर्तन /बंद होने के मामले में निम्नलिखित जानकारी दें :

(क) पुरानी आधार शाखा/कार्यालय का भाग-I कूट सं. : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(ख) नयी आधार शाखा /कार्यालय का भाग-I कूट सं. : [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

13. कोई अन्य जानकारी : ___________________________________

ख. <u>शाखा/कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का बंद होना/विलयन/परिवर्तन :</u>

1. समापन ( ) विलयन ( ) परिवर्तन ( ) की सूचना
   (उचित खाने में सही (√) का निशान लगाएं)

2. **शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का नाम (मद सं. 2(क) में स्पष्टीकरण देखें) : ------------------

3. एकसमान कूट संख्याएं (मद सं. 1(ख) में स्पष्टीकरण देखें) :

   भाग - I [| | | | | | |] [| |] भाग - II : [| | | | | | |]

4. (क) **शाखा /कार्यालय /प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय** का डाक पता :
   (मद सं. 4.1 से 4.8 में स्पष्टीकरण देखें) :

   (i) भवन का नाम /नगरपालिका संख्या (यदि हो) : ________________

   (ii) सड़क का नाम (यदि हो) : _________________________

   (iii) (क) डाक घर का पता : _________________________

   (ख) पिन कोड : [| | | | | |]

   (iv) केंद्र में इलाके का नाम (राजस्व इकाई) : ________________

   (v) सामुदायिक विकास खंड/विकास खंड/तहसील/तालुका/उप-प्रभाग/मंडल/
   पुलिस थाने का नाम : ________________________

   (vi) टेलीफोन सं. /टेलेक्स सं. (एसटीडी कोड सहित) : _________________

   (vii) फैक्स सं. : ______________________

   (viii) ई-मेल पता : _______________________

(ख) केंद्र का नाम : ___________________________
   (मद सं. 5(क) में स्पष्टीकरण देखें)

(ग) जिले का नाम : __________________________

(घ) राज्य का नाम : __________________________

(ङ) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केंद्र (राजस्व इकाई) की जनसंख्या : ______

(मद सं. 5(ङ) में स्पष्टीकरण देखें)

5. समापन/विलयन/परिवर्तन की तारीख: | | |/| | |/| | | | |

दिन माह वर्ष

6. <u>भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की संदर्भ सं. तथा तारीख :</u>

संदर्भ सं. ___________ तारीख: | | |/| | |/| | | | |

दिन माह वर्ष

7. बंद करने /विलयन/परिवर्तन का कारण : _____________________

8. भारिबैं के ______________स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को

____

(शाखा /कार्यालय/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय का नाम) के लिए लाइसेंस वापस करने की तारीख :

| | |/| | |/| | | | |

दिन माह वर्ष

9. ऐसी `ए'/`बी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा के समापन /विलयन के मामले में, जो एक या उससे अधिक `सी' श्रेणी प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं), के लिए संपर्क कार्यालय का कार्य कर रही है, उन प्राधिकृत व्यापारी शाखा(ओं) की भाग I कूट संख्या दें जिसे/जिन्हें उक्त `सी' श्रेणी शाखा(ओं) के संपर्क कार्यालय का कार्य सौंपा गया है :

<u>`सी' श्रेणी शाखा की एकसमान कूट संख्या</u>		**<u>संपर्क कार्यालय की एकसमान कूट संख्या</u>**	
भाग - I :								भाग - I :							
भाग - I :								भाग - I :							
भाग - I :								भाग - I :							

(यदि `सी' श्रेणी शाखों की सूची बड़ी है तो सूची संलग्न करें)

10. यदि शाखा/कार्यालय को ऐसे कार्यालय के रूप में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है (एनएआइओ), परिवर्तित किया गया है तो ऐसे एनएआइओ का प्रकार दें :

(मद सं. 7 (क) (iv) में स्पष्टीकरण देखें)

स्थिति नाम : ______________ कूट संख्या : ☐☐

11. आधार /आमेलक शाखा /कार्यालय का विवरण :

(क) **प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में** परिवर्तित होने के मामले में :

i) **आधार** शाखा /कार्यालय का नाम : ______________________

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

भाग - II (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

iii) संपूर्ण डाक पता : ______________________

____

(ख) शाखाओं /कार्यालयों/प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के विलय /आमेलन के मामलों में :

i) **आमेलक** शाखा /कार्यालय का नाम : ______________________

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक): ☐☐☐☐☐☐☐

भाग - II (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

iii) संपूर्ण डाक पता : ______________________

____

(ग) यदि कतिपय प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों के लिए आधार शाखा के रूप में कार्य करने वाली शाखा को समाप्त / प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालय के रूप में परिवर्तित /अन्य शाखा में विलयित किया गया है तो उन प्रशासनिक रूप से अस्वतंत्र कार्यालयों की आधार शाखा के ब्योरे दें, जो समाप्त / परिवर्तित/विलयित शाखा से पूर्व में संबद्ध थे :

i) आधार शाखा /कार्यालय का नाम : ______________________

ii) एकसमान कूट संख्याएं : भाग - I (7 अंक) : ☐☐☐☐☐☐☐

भाग - II (7 अंक) : | | | | | | | |

iii) संपूर्ण डाक पता : ______________________

____

टिप्पणी : 1) इस प्रोफार्मा में अलग-अलग समक्ष कोष्ठकों में रखी गयी स्पष्टीकरण टिप्पणियों के लिए कृपया अनुलग्नक "प्रोफार्मा - I में मदों के स्पष्टीकरण " देखें।

2) इस प्रोफार्मा में जब तक 7 अंकीय एकसमान कूट संख्याओं के भाग I तथा भाग II का उल्लेख नहीं किया जाता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

<u>प्रोफार्मा - I तथा II भरने के लिए अनुदेश</u>

टिप्पणी : कृपया प्रोफार्मा भरने से पूर्व निम्न अनुदेश पढ़ें

I. प्रोफार्मा - I शाखा/कार्यालय/ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** के खुलने के दिन अथवा उसके बाद प्रस्तुत किये जाने चाहिए, लेकिन शाखा/कार्यालय /ऐसे कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** के खुलने के पहले नहीं।

II. प्रोफार्मा - I सभी तरह की नयी खुली हुई बैंक **शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** के लिए है तथा प्रोफार्मा - II विद्यमान बैंक **शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं की स्थिति/डाक पते में परिवर्तन, बंद होने/विलयन/परिवर्तन/पुन:स्थापन /*उन्नयन*** आदि रिपोर्ट करने के लिए है।

III. **अब तक एकसमान कूट संख्याएं भारतीय रिज़र्व बैंक को अलग विवरणियां (7(ख) में स्पष्टीकरण देखें) प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालयों/ शाखाओं को दी जाती थीं। हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि स्टैण्ड-एलोन एटीएम/विस्तार पटलों /अनुषंगी कार्यालय /प्रतिनिधि कार्यालय/ नकदी काऊंटर/इन्स्पेक्टोरेट/वसूली काउंटर/मोबाइल कार्यालय/ एअरपोर्ट काउंटर/ होटल काउंटर/एक्स्चेंज ब्यूरो जैसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं (एनएआइओ - अस्थायी कार्यालयों), को 9 अंकों वाली एकसमान कूट संख्याएं आबंटित की जाए। <u>तथापि किसी मेले/प्रदर्शनी आदि के स्थान पर खोले गये अस्थायी कार्यालय से संबंधित प्रोफार्मा सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को न भेजें।</u>**

IV. जिन सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपनी नयी **शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं**, को भाग I कूट संख्या देने की अनुमति दी गयी है; उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को **प्रोफार्मा - I** प्रेषित करते समय उपर्युक्त III में उल्लिखित अनुदेश का कड़ाई से पालन करना होगा।

V. **किसी ऐसे कार्यालय का, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, संपूर्ण शाखा/ कार्यालय में उन्नयन किया जाता है तो उसे मूल कार्यालय का बंद होना और शाखा / कार्यालय का खुलना समझा जाए। तदनुसार, उस कार्यालय, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा शाखा / कार्यालय में उन्नयन के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाए।**

VI. विकल्पत:, यदि किसी शाखा /कार्यालय को, ऐसे कार्यालय में जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, परिवर्तित किया गया है, तो शाखा /कार्यालय के बंद होने के लिए प्रोफार्मा - II तथा परिवर्तन /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, खोलने के लिए प्रोफार्मा - I प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

VII. **भाग - I तथा भाग - II** कूट संख्या के आबंटन /भाग -II कूट संख्या में संशोधन के लिए प्रोफार्मा- I तथा II तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक प्रोफार्मा की सभी मदें उचित रूप से भरी नहीं जाती हैं।

<u>प्रोफार्मा -I की मदों का स्पष्टीकरण</u>

<u>मद सं. 1 (ग) :</u>

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (एसबीआई तथा उसके 7 सहयोगी बैंक एवं 19 राष्ट्रीयकृत बैंक तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट बैंक ऑफ इंडिया लि.) को केवल अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं को 7/9 अंक वाली भाग - I कूट संख्याएं देने की अनुमति है तथा अन्य बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (सांविकंसेवि) भाग - I तथा भाग II दोनों कूट संख्याएं आबंटित करता है । ऐसा प्रत्येक कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी स्वतंत्र शाखा से संबद्ध होता है। जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है उसके लिए भाग - I कूट संख्या के अंतिम दो अंक (बायें से 8वां तथा 9वां अंक) हैं, जिनके आगे आधार शाखा की 7 अंकीय भाग - I कूट संख्या होगी ।

बैंकों की शाखाओं /कार्यालयों की एकसमान कूट संख्या दो भागों की होती है, - प्रति 7 अंकों की भाग - I **कूट संख्या तथा भाग - II** कूट संख्या; जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं हैं उनकी **भाग - I** कूट संख्या को 2 अतिरिक्त अंक जोड़ दिये जाते हैं।

भाग - I कूट संख्या निम्नानुसार परिभाषित की जाती है :

- ***वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं*** *की शाखाओं /कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो* प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है के लिए **:**

  बायें से **पहले तीन अंक बैंक की कूट संख्या** से संबंधित हैं
  अगले चार अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की **कूट संख्या** दर्शाते हैं।

- ***राज्य/जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, राज्य /केंद्रीय भूमि विकास बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों/ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं :***

  बाएं से **पहले चार अंक बैंक कूट** संख्या दर्शाते हैं
  अगले तीन अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, की कूट संख्या दर्शाते है।

- ***अन्य सहकारी बैंकों, सैलरी अर्नर्स सोसाइटी, राज्य वित्तीय निगमों तथा टूर्स, ट्रैवल्स, वित्त तथा पट्टादायी कंपनियों*** *की शाखाओं /कार्यालयों / ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, के लिए :*

  बाएं से पहले पांच अंक बैंक कूट संख्या दर्शाते हैं।
  अगले दो अंक शाखा कूट संख्या दर्शाते हैं।
  अंतिम दो अंक ऐसे कार्यालयों, जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, की कूट संख्या दर्शाते हैं।

भाग - II कूट संख्या को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है, चाहे `बैंकों'की श्रेणी कुछ भी क्यों न हों,

बाएं से **पहले तीन अंक जिला कूट संख्या** दर्शाते हैं ।
अगले तीन अंक जिले के भीतर **केंद्र कूट संख्या** दर्शाते हैं ।
अंतिम एकल अंक जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या दर्शाता है ।

जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या तथा जनसंख्या समूह कूट संख्या के बीच का संबंध नीचे दर्शाया गया है :

एकसमान कूट संख्या (जनसंख्या विस्तार सीमा कूट संख्या) के भाग - II का अंतिम अंक	जनसंख्या विस्तार सीमा	जनसंख्या समूह	जनसंख्या समूह कूट संख्या
1	4999 तक	*ग्रामीण*	*1*
2	5000 से 9999 तक		
3	10000 से 19,999	*अर्धशहरी*	*2*
4	20,000 से 49,999		
5	50,000 से 99,999		
6	1,00,000 से 1,99,999	*शहरी*	*3*
7	2,00,000 से 4,99,999		
8	5,00,000 से 9,99,999		
9	10 लाख तथा उससे अधिक	*महानगर*	*4*

मद सं. 2 (क) :

शाखा /कार्यालय /ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, का नाम लिखना चाहिए ।

मद सं. 2 (ख) :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए प्राधिकार /अनुमोदन पत्र की संदर्भ सं.तथा तारीख का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

मद सं. 2 (ग) :

लाइसेंस सं. यदि पहले से ही उपलब्ध है (भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किये गये अनुसार) तो लिखनी है, अगर उपलब्ध नहीं है तो उसे एकसमान कूट संख्याओं के साथ बाद में संप्रेषित किया जाना चाहिए ।

मद सं. 2 (घ) :

लाइसेंस की सही तारीख (माह तथा वर्ष सहित) दर्शाई जानी है ।

<u>मद सं. 2 (ङ) :</u>

यदि शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, लाइसेंस जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद खोला गया है तो कृपया दर्शाएं कि क्या लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण किया गया था अथवा नहीं, तथा यदि पुनर्वैधीकरण किया गया था तो उसकी तारीख का उल्लेख करें ।

<u>मद सं. 3 :</u>

खोलने की सही तारीख, माह तथा वर्ष लिखें ।

<u>मद सं. 4.1 से 4.3 तथा 4.6 से 4.8 :</u>

नाम/संख्याएं/कूट संख्याएं उचित मद संख्या के समक्ष लिखें। मद सं. 4.3 (ख) के समक्ष पिन कोड दर्शाएं । मोबाइल कार्यालय तथा मोबाइल एटीएम के संबंध में आधार शाखा / कार्यालय का विस्तृत पता रिपोर्ट करें ।

<u>मद सं. 4.4 :</u>

जहां शाखा /कार्यालय /**ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है** स्थित है, उस इलाके के सही स्थान का नाम बताएं । यदि शाखा /कार्यालय /**ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,** किसी गाँव में खोला गया है तो उस गाँव का नाम ही इलाके का नाम होगा । **मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिए जाएं ।**

<u>मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) :</u>

मद 5 (क) में दिये गये केंद्र के नाम के संदर्भ में तहसील /तालुका /उप-प्रभाग तथा सामुदायिक विकास खंड के नाम क्रमश: मद सं. 4.5 तथा 5 (ख) के सामने दर्शाएं ।

महानगरीय केंद्रों के मामले में यह लागू नहीं होगा ।

मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा /कार्यालय के संबंधित ब्योरे दिये जाने चाहिए ।

<u>मद सं. 5 (क) :</u>

मद सं. 4.4 में उल्लिखित इलाका जिस गांव/शहर/नगर/नगरपालिका/नगरपालिका निगम के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल है उसका नाम लिखें। उस गांव का नाम लिखें अगर शाखा/ कार्यालय/ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, ऐसे गांव में खोला गया है जो कि <u>राजस्व यूनिट/केंद्र</u> है । मोबाइल कार्यालय अथवा मोबाइल एटीएम के मामले में आधार शाखा/कार्यालय के संबंधित ब्योरे किये जाने चाहिए ।

<u>सावधानी :</u>

यदि मद सं. 5 (क) में केंद्र का नाम सही नहीं लिखा है तो गलत भाग - II कूट संख्या के साथ शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय नहीं है, का गलत वर्गीकरण हो सकता है । मद सं. 4.4 तथा 5 (क) के समक्ष पंचायत/खंड/तहसील /जिले आदि का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक शाखा /कार्यालय / ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, पंचायत/खंड/तहसील/जिले के मुख्यालय में स्थित न हो ।

<u>मद सं. 5 (ङ) : (मद सं. 5 (क) भी देखें)</u>

शाखा / कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है,जहां स्थित है उस केंद्र (राजस्व यूनिट) की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े दें । पूर्ण पंचायत /खंड /तहसील /जिले आदि की जनसंख्या को विचार में न लें । **<u>राजस्व केंद्र</u>** की जनसंख्या जनगणना हैण्डबुक /स्थानीय जनगणना प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्रशासन जैसे - जिला कलेक्टर /तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी आदि से प्राप्त की जा सकती है और इस आशय का प्रमाणपत्र (मूल रूप में) जिसमें निम्नलिखित दो पहलू शामिल हैं, संबंधित स्थानीय प्रशासन से प्राप्त कर प्रेषित किया जाए :

(i) संदर्भाधीन शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, जहाँ स्थित है उस राजस्व केंद्र का नाम ।

(ii) नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उक्त राजस्व केंद्र की जनसंख्या ।

<u>मद सं. 6 :</u>

कोई भी कार्यालय प्रशासनिक रूप से तब स्वतंत्र है, जब वह अलग खाता बहियाँ रखता है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अथवा अधिक बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं । यदि उपर्युक्त मद सं. 5 (क) में उल्लिखित केंद्र (राजस्व यूनिट) में किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा किसी अन्य वाणिज्य /सहकारी बैंक की कोई प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र शाखा /कार्यालय नहीं है जिसकी सीमा के अंदर नई शाखा /कार्यालय स्थित है तो `नहीं' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं, अन्यथा `हां' के समक्ष सही (√) का निशान लगाएं ।

<u>मद सं. 7 (क) :</u>

विभिन्न प्रकार (व्यावसायिक स्थिति) की शाखाओं /कार्यालयों /ऐसे कार्यालयों जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के नाम तथा संबंधित कूट संख्याएं नीचे I से IV श्रेणियों में सूचीबद्ध की गयी हैं । समुचित **स्थिति** का नाम तथा तदनुरूपी कूट संख्या लिखी जानी चाहिए ।

चूँकि सूची व्यापक नहीं है, इसलिए कृपया कार्यालय /शाखा /ऐसा कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं है की सही स्थिति "कोई अन्य शाखा /कार्यालय /ऐसा कार्यालय **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं"** श्रेणी के अंतर्गत दें :

I. *प्रशासनिक कार्यालय के मामले में*

कूट सं.	स्थिति का नाम
(01)	पंजीकृत कार्यालय
(02)	केंद्रीय /मुख्य कार्यालय / प्रधान कार्यालय
(03)	स्थानीय मुख्य कार्यालय
(04)	क्षेत्रीय कार्यालय /क्षेत्र कार्यालय /अंचल कार्यालय /मंडल कार्यालय / परिमंडल कार्यालय
(05)	निधि प्रबंधन कार्यालय
(06)	अग्रणी बैंक कार्यालय
(07)	प्रशिक्षण केंद्र
(09)	कोई अन्य प्रशासनिक कार्यालय (जो ऊपर शामिल न किया गया हो, कृपया स्पष्ट करें)

II. *सामान्य बैंकिंग शाखा के मामले में*

कूट सं.	स्थिति का नाम
(10)	सामान्य बैंकिंग शाखा

III. *विशेषीकृत शाखा के मामले में*

(क) *कृषि विकास/वित्त शाखाएं*

(11)	कृषि विकास शाखा (एडीबी)
(12)	विशेषीकृत कृषि वित्त शाखा हाइ-टेक (एसएएफबी हाइ-टेक)
(13)	कृषि वित्त शाखा (एएफबी)

(ख) *लघु उद्योग /लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखाएं*

(16)	लघु कारोबार विकास शाखा /कार्यालय
(17)	लघु उद्योग शाखा (एसएसआइ)
(18)	लघु उद्योग तथा लघु कारोबार शाखा (एसआइबी)

(ग) *औद्योगिक /कंपनी वित्त /बड़े अग्रिम शाखाएं*

(21)	औद्योगिक वित्त शाखा (आइएफबी)
(22)	कंपनी वित्त शाखा (सीएफबी)
(23)	किराया खरीद तथा पट्टादायी वित्त शाखा
(24)	औद्योगिक खाता शाखा
(25)	बड़े अग्रिम शाखा
(26)	कारोबार वित्त शाखा

(27) मध्यम कंपनी (मिड कॉर्पोरेट) शाखा

(घ) ***परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन /औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखाएं***

(30) परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन सेवा शाखा (एआरएमएस)

(31) औद्योगिक पुनर्व्यवस्था शाखा

(ङ) ***पूंजी बाज़ार/अभिरक्षक सेवाएं मर्चेंट/व्यापारिक (मर्कंटाइल) बैंकिंग शाखाएं***

(35) पूंजी बाज़ार सेवा शाखा (सीएमएस)

(36) अभिरक्षक सेवा शाखा

(37) मर्चेंट बैंकिंग शाखा

(38) मर्कंटाइल बैंकिंग शाखा

(च) ***विदेशी /अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं***

(41) अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कार्यालय /शाखाएं

(42) विदेशी शाखा

(43) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार शाखा /कार्यालय /केंद्र

(44) अंतर्राष्ट्रीय विनिमय शाखा

(छ) ***वाणिज्य /व्यक्तिगत बैंकिंग शाखाएं***

(47) अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) शाखा

(48) आवास वित्त शाखा

(49) व्यक्तिगत बैंकिंग सेवा शाखा

(50) उपभोक्ता वित्त शाखा

(51) विशेषीकृत बचत शाखा

(52) वाणिज्य तथा व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा

(53) विशेषीकृत वाणिज्य शाखा

(54) ड्राफ्ट अदाकर्ता (पेइंग) शाखा

(55) व्यावसायिक (प्रोफेशनल्स) शाखा

(56) लॉकर शाखा

(57) विशेषीकृत व्यापार शाखा

(58) डायमंड शाखा

(59) आवास वित्त व्यक्ति बैंकिंग शाखा

(ज) *वसूली तथा अदायगी /शीघ्र (तेज) सेवा /एसटीएआरएस /स्टार्स शाखाएं*

(63) सेवा शाखा /समाशोधन शाखा /कक्ष

(64) वसूली तथा अदायगी सेवा शाखा

(65) शीघ्र वसूली शाखा

(66) तेज सेवा शाखा

(67) शीघ्र अंतरण तथा वसूली सेवा (स्टार्स) शाखा

(झ) *अन्य प्रकार की विशेषीकृत शाखाएं*

(71) राजकोष शाखा (सरकारी कारोबार)

(72) शेयर बाज़ार (स्टॉक एक्सचेंज) शाखा

(73) ऑटो-टेक शाखा

(74) निधि अंतरण सेवा (एफटीएस) शाखा

(75) कमज़ोर वर्ग शाखा

(76) सुरक्षा सेवा शाखा

(77) विशेषीकृत महिला उद्यमी शाखा

(78) विशेषीकृत नकदी प्रबंधन सेवा शाखा

(79) स्व-सहायता समूहों के लिए माइक्रो सेफ शाखा

(80) विशेषीकृत शाखा/कार्यालय की कोई अन्य श्रेणी
(ऊपर शामिल न की गयी, कृपया स्पष्ट करें)

IV. ऐसे कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं के मामले में

(85) विस्तार पटल

(86) अनुषंगी कार्यालय

(87) मोबाइल कार्यालय

(88) सेवा शाखा *

(89) मोबाइल एटीएम

(90) ऑन-साइट एटीएम

(91) ऑफ -साइट एटीएम

(92) प्रतिनिधि कार्यालय

(93) विनिमय ब्यूरो

(99) ऐसे कोई अन्य कार्यालय जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं

* यदि वह अलग खाता-बही नहीं रखती है

<u>मद सं. 7 (ख) :</u>

जो कार्यालय प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, उनमें अलग खाता बहियां नहीं रखी जाती हैं और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक को बीएसआर विवरणियां प्रस्तुत नहीं करनी पड़ती हैं। ऐसे कार्यालय उस आधार शाखा /कार्यालय का नाम तथा उसकी एकसमान कूट संख्याएं दें जिनके साथ उन कार्यालयों, **जो प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं** (एनएआइओ) के खाते रखे जाएंगे।

<u>मद सं. 8 (ii) (क) (घ) :</u>

नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से उचित कूट संख्या दर्शाएं :

कूट संख्या	**क्षेत्र प्रकार**
(0)	सामान्य क्षेत्र
(1)	सीमा क्षेत्र
(2)	उपद्रवग्रस्त क्षेत्र (अधिक जोखिम)
(3)	प्राकृतिक विपत्तियों (बाढ़ /भूकंप प्रवण क्षेत्र आदि) से प्रभावित क्षेत्र
(4)	हिमपात आदि के कारण पर्याप्त परिवहन सुविधा से रहित क्षेत्र

टिप्पणी : अधिक स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित से संपर्क अथवा पत्राचार करें :

निदेशक
बैंकिंग सांख्यिकी प्रभाग
सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय
सी - 9, छठी मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051
फोन नं : (022) 2657 8100 एक्स. 7360
फैक्स : (022) 2657 0847 / 2657 2319

अनुबंध 10

प्रोफार्मा III

क. मोबाइल शाखाओं/कार्यालयों में परिचालन आरंभ करने से संबंधित रिपोर्टिंग फार्मेट

क्रम. सं.	आधार शाखा/ केंद्र जिला राज्य	केंद्र का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण	किन गांवों/केंद्रों में मोबाइल शाखा/कार्यालय जाएंगे	जाने के दिन	मोबाइल शाखा/कार्यालय आरंभ करने की तारीख

प्रोफार्मा IV

ख. मोबाइल एटीएम में परिचालन आरंभ करने से संबंधित रिपोर्टिंग फार्मेट

क्रम. सं.	केंद्र जिला राज्य	केंद्र का जनसंख्या समूह-वार वर्गीकरण	किन गांवों/केंद्रों में मोबाइल एटीएम जाएंगे	जाने के दिन	मोबाइल एटीएम आरंभ करने की तारीख

अनुबंध 11क

<u>(**फॉर्म VI -** नए स्थान पर कारोबार खोलने के लिए अनुमति के आवेदन पत्र का फार्म)</u>

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत कारोबार का नया स्थान खोलने अथवा कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने (उसी शहर, कस्बे या गाँव को छोड़कर अन्य स्थान पर) की अनुमति के लिए आवेदन पत्र - बैंककारी विनियमन (कंपनी) नियमावली, 1949, नियम 12 फार्म VI

पता ....

दिनांक ....

....

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग,

भारतीय रिज़र्व बैंक,
केन्द्रीय कार्यालय
मुम्बई

महोदय

हम इसके द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अनुसार * कारोबार का नया स्थान खोलने /कारोबार के ....स्थित वर्तमान स्थान को ....से बदलकर ....करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। हम आवश्यक सूचना इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट फार्म में नीचे दे रहे हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर ....

1. बैंकिंग कंपनी का नाम :

2. प्रस्तावित कार्यालय

(निम्नलिखित जानकारी दें)

(क) शहर / कस्बे/ गांव का नाम

(यदि स्थान के एक से अधिक नाम हों, तो संबंधित जानकारी भी प्रस्तुत की जानी चाहिए)

(ख) मुहल्ले /स्थान का नाम

(ग) (i) प्रखंड (ब्लॉक) :

(ii) तहसील/तालुका :

(iii) ज़िला :

(iv) राज्य का नाम

(घ) प्रस्तावित कार्यालय का स्तर (स्टेटस) :

(ङ) प्रस्तावित कार्यालय तथा वाणिज्य बैंक के निकटतम वर्तमान कार्यालय के बीच की दूरी, बैंक एवं केन्द्र /मुहल्ले के नाम सहित :

@(च) 5 कि. मी. के घेरे में कार्यरत वाणिज्य बैंकों के नाम और उनके कार्यालयों की संख्या, उन केंद्रों के नाम के साथ जिनमें वे कार्यरत हों :

3. पिछला आवेदन :

(यदि प्रस्तावित कारोबारी स्थान के संबंध में रिज़र्व बैंक को पहले कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उसके ब्यौरे दें)

4. प्रस्तावित कार्यालय खोलने के लिए कारण : (प्रस्तावित कार्यालय के लिए ब्यौरेवार कारण बतायें तथा निम्नानुसार सांख्यिकी एवं अन्य आंकड़े प्रस्तुत करें, जिनका संकलन प्रस्तावित कार्यालय के लिए किया गया हो)

(i) स्थान की जनसंख्या :

@(ii) प्रस्तावित कार्यालय के कमान क्षेत्र (अर्थात् परिचालन के क्षेत्र) के विवरण :

(क) कमान क्षेत्र की अनुमानित त्रिज्या (रेडियस):

(ख) जनसंख्या :

(ग) कमान क्षेत्र में गांवों की संख्या :

(iii)निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तावित कार्यालय के परिचालन क्षेत्र में कृषि खनिज और औद्योगिक उत्पादन की तथा आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य :

पण्य का नाम	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(iv) यदि कृषि खनिज अथवा औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं हों तो उनके ब्यौरे दें तथा वर्तमान उत्पादन, आयातों और निर्यातों की मात्रा और मूल्य पर उनके संभावित प्रभावों का उल्लेख करें :

(v) यदि मौजूदा बैंकिंग सुविधाएं अपर्याप्त समझी जायें, तो उसके कारण बतायें :

(vi) संभावनाएं : प्रस्तावित कारोबार के स्थान में 12 महीने के भीतर बैंकिंग कंपनी द्वारा किये जानेवाले न्यूनतम कारोबार की अनुमानित मात्रा निम्नानुसार दर्शाएं :

(क) जमाराशियां : राशि हजार रुपयों में

(ख) अग्रिम : राशि हजार रुपयों में

5. वर्तमान कार्यालय की स्थिति में परिवर्तन (उस कार्यालय की सही स्थिति बताएं, जिसे बंद करने का प्रस्ताव है तथा मद 2, 3 और 4 के अनुसार नये स्थान के ब्यौरे देते हुए उस स्थान की सही स्थिति बताएं जहां इस कार्यालय को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है)

6. व्यय :

(प्रस्तावित कार्यालय के संबंध में स्टाफ, परिसर, फर्नीचर, स्टेशनरी, विज्ञापन आदि पर पहले किये जा चुके अथवा प्रस्तावित व्यय की मात्रा। साथ ही, यह भी उल्लेख करें कि 12 महीनों में प्रस्तावित कार्यालय में बैंकिंग कंपनी को न्यूनतम कितनी आय होने की आशा है)

अनुमानित वार्षिक आय :

क) अग्रिमों पर ब्याज रु.

ख) कमीशन रु.

ग) विनिमय रु.

घ) प्रधान कार्यालय को दी गयी उधार निधियों पर ब्याज रु.

कुल रु.

अनुमानित लाभ रु.

* अनुमानित वार्षिक व्यय

क) स्थापना प्रभार रु.

ख) स्टेशनरी और विविध रु.

ग) किराया और भवन रु.

घ) जमाराशियों पर अदा किया जानेवाला व्यय रु.

ङ) प्रधान कार्यालय से उधार ली गयी रु.

. . . . . की निधियों पर ब्याज @........% रु.

जोड़ रु.

7. अन्य विवरण :

(कोई अन्य अतिरिक्त तथ्य, जिसे बैंकिंग कंपनी अपने आवेदन के समर्थन में बताना चाहे)

* जो भाग लागू न हो उसे काट दें ।

@ यह जानकारी उन्हीं केंद्रों के आवेदन के मामले में प्रस्तुत की जानी है जिनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो ।

नोट : 1. `कार्यालय' और `कार्यालयों' शब्द इस फार्म में जहां कहीं भी आ रहे हैं, उनमें कारोबार का/को वह स्थान शामिल है/हैं जहां जमाराशि स्वीकार की जाती है, चेकों का भुनाया जाता है, धन उधार दिया जाता है या उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) में उल्लिखित कारोबार किसी अन्य रूप में किया जाता है ।

2. यदि आवेदन कारोबार के वर्तमान स्थान को बदलने के लिए है तो मद (5) का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

3. यदि कोई बैंकिंग कंपनी किसी मद के संदर्भ में पूरे ब्यौरे देने में असमर्थ या अनिच्छुक है तो इस छूट के कारण दिये जायें ।

4. मद(2),(3),(4),(5) और(6) में पूछी गयी जानकारी उस स्थिति में प्रत्येक कार्यालय के बारे में अलग- अलग दी जाये जहां जहां आवेदन एक से अधिक कार्यालय खोलने या स्थान परिवर्तन के लिए हो।

5. `प्रशासनिक कार्यालय' के स्थान के परिवर्तन के मामले में जहां किसी बैंकिंग कारोबार का लेनदेन नहीं किया जाता है या किया जाना प्रस्तावित नहीं है (जैसे `पंजीकृत कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय') वहां पत्र के रूप में केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें परिवर्तन के लिए कारणों का उल्लेख किया गया हो ।

अनुबंध 11ख

खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का संक्षिप्त विवरण

बैंक का नाम :

i)टियर 1 केन्द्रों में खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाएँ, जिनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

क्षेत्र/जिला	शहरी	महानगरीय	कुल
अल्प बैंक सुविधा वाले राज्य का अल्प बैंक सुविधा वाला जिला			
अन्य			
कुल			

ii) आम अनुमति के अन्तर्गत खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाएँ

1 दिसम्बर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी. 65/22.01 .001/2009-10 तथा 29 नवंबर 2011 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी. 60/22.01.001/2011-12 के अनुसार बैंक टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में (99,999 की आबादी तक)....... शाखाएँ खोलना चाहता है, जिसका ब्रेक-अप नीचे दिया गया है:

ब्यौरे	अर्द्ध शहरी			ग्रामीण केन्द्र		कुल
	टियर2	टियर3	टियर4	टियर5	टियर6	
अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों में शाखाओं की संख्या						
अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों की शाखाओं के अलावा अन्य शाखाएँ						
कुल						
बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में प्रस्तावित शाखाएँ						

* केंद्र (शहर/कस्बा/गांव) का नाम (जैसे - मुंबई, बेंगलूर, नासिक) दिया जाना चाहिए, केवल इलाके का नहीं । यदि एक केंद्र में एक से अधिक शाखाएं प्रस्तावित हैं, तो इलाके का उल्लेख किया जाए, जैसे - मुंबई-फोर्ट, मुंबई-बांद्रा आदि ।

iii) बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों में खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाएँ (संदर्भ बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी.24/22.01.001/2011-12 दिनांक 15, जुलाई 2011)

	टियर 5	टियर -6	कुल
बैंकरहित ग्रामीण केन्द्रों के ब्यौरे			
अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों में **बैंकरहित ग्रामीण केन्द्र**			
अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों को छोड़कर **बैंकरहित ग्रामीण केन्द्र**			
कुल			

नोट : शाखाओं का यह संक्षिप्त विवरण द्विभाषिक फार्मेट (हिंदी और अंग्रेजी) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

अनुबंध 11ग

बैंक का नाम :

(i) `अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले' ज़िलों में विद्यमान शाखाओं की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(--------------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या					कुल शाखाओं में से ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(ii) `अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले, ज़िलों को छोड़कर अन्य' ज़िलों में विद्यमान शाखाओं की राज्य-वार, जनसंख्या-वार संख्या

(--------------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	शाखाओं की संख्या					कुल शाखाओं में से ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(iii) बैंक की विद्यमान जनसंख्या श्रेणी-वार शाखाएं

(अखिल भारतीय सार स्थिति)

(----------- को स्थिति)

ग्रामीण		अर्ध-शहरी		शहरी		महानगरीय		कुल
शाखाओं की संख्या	**कुल में से प्रतिशत**	**शाखाओं की संख्या**	**कुल में से प्रतिशत**	**शाखाओं की संख्या**	**कुल में से प्रतिशत**	**शाखाओं की संख्या**	**कुल में से प्रतिशत**	**शाखाओं की संख्या**
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले :								
अपर्याप्त बैंकिंग वालों को छोड़कर अन्य ज़िले :								
कुल जोड़ :								

अनुबंध 11घ

बैंक का नाम :

(i) विद्यमान एटीएम की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या`
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले' ज़िले

(-------------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	ऑन-साइट एटीएम की संख्या					ऑफ-साइट एटीएम की संख्या					
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	कुल जोड़

(ii) विद्यमान एटीएम की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या
`अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों को छोड़कर अन्य' ज़िले

(-------------- को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य	ऑन-साइट एटीएम की संख्या					ऑफ-साइट एटीएम की संख्या					कुल जोड़
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(iii) <u>बैंक के विद्यमान ऑफ-साइट एटीएम की संख्या :</u>

(अखिल भारतीय सार स्थिति)

(- - - - - - - - को स्थिति)

ग्रामीण		अर्ध-शहरी		शहरी		महानगरीय		कुल
एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या	कुल में से प्रतिशत	एटीएम की संख्या
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िले :								
अपर्याप्त बैंकिंग सुविधा वाले ज़िलों को छोड़कर अन्य ज़िले								
कुल जोड़ :								

अनुबंध 11 ङ

बैंक का नाम :

(i) विद्यमान एक्सटेंशन काउंटरों की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(--------------- को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	विद्यमान एक्सटेंशन काउंटरों की संख्या					टिप्पणी
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(ii) वर्ष के दौरान पूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन किए गए विस्तार पटलों की राज्य-वार, जनसंख्या समूह-वार संख्या

(--------------- को स्थिति)

क्र. सं.	राज्य	पूर्ण शाखाओं के रूप में उन्नयन किए गए विस्तार पटलों की संख्या					टिप्पणी
		ग्रामीण	अर्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

अनुबंध 11च

बैंक का नाम:

(i) सामान्य शाखाओं में परिवर्तित विशेषीकृत शाखाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्य	सामान्य शाखाओं में परिवर्तित विशेषीकृत शाखाओं की संख्या					टिप्पणी
		ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

(ii) विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित सामान्य शाखाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्य	विशेषीकृत शाखाओं में परिवर्तित सामान्य शाखाओं की संख्या					टिप्पणी
		ग्रामीण	अर्द्ध शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल	

अनुबंध 11 छ

<u>वार्षिक शाखा विस्तार योजना के साथ प्रस्तुत की जानेवाली सूचना</u>

बैंक का नाम :

1) बैंक के शाखा विस्तार कार्यक्रम हेतु मध्यावधि नीति:

बैंक टियर 1 केन्द्रों में और टियर 2 से टियर 6 केन्द्रों में 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने शाखा विस्तार हेतु प्रस्तावित मध्यावधि नीति के बारे में ब्यौरे दें।
बैंक शाखाओं की वर्तमान संख्या और प्रस्तावित प्रतिशत वृद्धि के संबंध में भी सूचना दें।

2) अगले 3 वर्षों में कारोबार का अपेक्षित स्तर

क. जमाराशियां
ख. अग्रिम

3) अगले 3 वर्षों में अपेक्षित ग्राहक आधार

4) प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन :

क. पूर्णत: कंप्यूटरीकृत शाखाओं की संख्या
ख. नेटवर्क कनेक्टीविटी वाली शाखाओं की संख्या
ग. कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली शाखाओं की संख्या

5) वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु उपाय:

वित्तीय समावेशन के लिए की गयी पहल के अंतर्गत ग्राहकों द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष के विविध स्तर/स्लैब तथा इन एकाधिक स्तरों/स्लैबों से जुड़ी बैंक द्वारा दी जानेवाली संबंधित सेवाओं के बारे में बैंक ब्योरे दें।

अ) बैंक निम्नलिखित ब्योरे भी प्रस्तुत करे :-

क) यदि बैंक ने व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल को लागू किया है तो उसके कार्यकलाप के ब्योरेः-
ख) क्या बैंक की बहुभाषी वेबसाइट है?
ग) ग्रामीण विकास तथा स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरयूडीएसईटीआई) की स्थापना तथा वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श की दिशा में की गई अन्य पहल।
घ) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) श्रृंखलाएं।
ङ) माइक्रो एटीएम, किऑस्क की भांति सूचना तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आधारित वित्तीय समावेशन प्रयास।
च) वित्तीय समावेशन क्षेत्र में अन्य नवीनतम पहल/प्रगति।

आ) बैंक विगत तीन वर्षों के सांख्यिकीय आंकड़े भी निम्नानुसार प्रस्तुत करें :-

क) प्रति शाखा बुनियादी बचत बैंक खातों/लघु खातों की औसत संख्या।
ख) सामान्य क्रेडिट कार्ड अथवा बुनियादी बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट की औसत संख्या।
ग) प्रति शाखा जारी किए गए स्मार्ट कार्डों की औसत संख्या ।

6) दिये जानेवाले उत्पादों तथा सेवाओं के प्रभारों की अनुसूची:

बैंक अपने ग्राहकों को दिये जानेवाले विविध उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्रभारों की अनुसूची भेजें। बैंक विभिन्न खाते खोलने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शेष, न्यूनतम शेष न रखने के लिए प्रभार आदि भेजें।

7) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शाखा नेटवर्क विस्तार के कारण ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, बैंक द्वारा उठाये जानेवाले कदम।

8) पिछले दो वर्षों के दौरान बैंक में प्राप्त हुई शिकायतें

(प्रमुख क्षेत्र/शिकायतों के प्रकार का उल्लेख किया जाए)

क्र.सं.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या	कुल	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या

9) शाखा नेटवर्क में प्रस्तावित वृद्धि के कारण बढ़ने वाले कारोबार से उत्पन्न होनेवाले निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित उपाय।

- आंतरिक नियंत्रण और लेखा-परीक्षा
- हाउसकीपिंग और मिलान
- परिचालन जोखिम से संबंधित अन्य क्षेत्र
- मानव संसाधन संबंधी मुद्दे

10) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों के संबंध में स्थिति

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण और प्रतिशत अर्थात् प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों का समायोजित निवल बैंक ऋण के प्रति अनुपात की सूचना दी जाए ।

11) ऋण जमा अनुपात के संबंध में ब्योरे :

दिनांक (. . . . .) को स्थिति

(राशि करोड़ रुपयों में)

मदें	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	महानगरीय	कुल
जमाराशियां					
अग्रिम					
ऋण जमा अनुपात					
प्रति शाखा जमाराशियां					
प्रति शाखा अग्रिम					

12) बैंकिंग समूह के कार्यकलाप तथा बैंक की अपनी सहायक, संबद्ध और सहयोगी संस्थाओं के साथ संबंध का स्वरूप ।

13) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और क्या कोई अर्थ-दंड बैंक पर लगाया गया था? यदि हां, तो उसका ब्योरा दें ।

14) पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खोली गई शाखाओं की सूची

क. टीयर 1 केंद्र

क्र. सं.	भारतीय रिज़र्व बैंक - बैंपविवि के पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	अनुबंध में क्रम सं.	केंद्र	ज़िला	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

ख. टीयर 2 से टीयर 6 तक के केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम

क्र. सं.	केंद्र	ज़िला	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

15) शाखाएं खोलने के लिए बैंक के पास लंबित प्राधिकरणों की सूची ।

क्र. सं.	बैंपविवि के पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख	अनुबंध में क्रम सं.	केंद्र	ज़िला	राज्य	टिप्पणी

16) पिछली एबीईपी के अंतर्गत खोली जा चुकी/खोली जाने वाली प्रस्तावित शाखाओं के ब्योरे

क्र. सं.	ब्योरे	शाखाओं की संख्या	
		पिछली एबीईपी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत	पिछले प्राधिकार के अंतर्गत वस्तुतः खोली गई
1.	टियर 1 केंद्र		
	क) अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिले		
	ख) अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों के अलावा		
2.	टियर 2 से 6 केंद्र		
	क) अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिले		
	ख) अल्प बैंक सुविधा वाले राज्यों के अल्प बैंक सुविधा वाले जिलों के अलावा		
	ग) बैंक सुविधा रहित ग्रामीण केंद्र*		
	कुल = 1 + 2		
*(दिनांक 15 जुलाई 2011 परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24/22.01.001/2011-12 के अनुसार)			

17) ऐसी अन्य कोई जानकारी जो बैंक प्रस्तुत करना चाहे

अनुबंध 11 ज

परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10 दिनांक 1 दिसंबर 2009 तथा बैंपविवि सं.बीएल.बीसी. 60/22.01.001/2011-12 दिनांकr 29 नवंबर 2011 के अनुसार सामान्य अनुमति के अंतर्गत टियर 2 से टियर 6 तक के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

क्र. सं.	पूरा पता	केंद्र	केंद्र का जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण (ग्रामीण/ अर्धशहरी/ शहरी/ महानगरीय)	टियर-वार वर्गीकरण (टियर 1 - टियर 6)	ज़िला	क्या अल्प बैंकिंग सुविधायुक्त ज़िला है या नहीं	राज्य	शाखा खोलने की तारीख

अनुबंध-11झ

विस्तार काउंटर के लिए अनुरोध के संबंध में बैंक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण

भाग - I

1. बैंक का नाम :

2. जिस संस्था में विस्तार काउंटर खोला जाना है उसका नाम और डाक का पूरा पता :

3. बैंक के मूल कार्यालय का नाम और पता, जिसके साथ विस्तार काउंटर को संबद्ध किया जाना है :

4. i) मूल कार्यालय एवं प्रस्तावित विस्तार काउंटर के बीच की दूरी
   ii) प्रस्तावित विस्तार काउंटर और आवेदक बैंक के निकटतम कार्यालय (विस्तार काउंटर, चल (मोबाइल) कार्यालय सैटेलाइट कार्यालय आदि सहित) के बीच की दूरी
   iii) प्रस्तावित विस्तार काउंटर और अन्य बैंकों *(शहरी सहकारी बैंकों सहित) के निकटतम कार्यालयों / विस्तार काउंटरों, चल कार्यालयों आदि के बीच की दूरी
   * काउंटर के लिए आवेदन करनेवाले बैंक से इतर

   i)

   ii)

   iii)

बैंक का नाम	कार्यालय का प्रकार	दूरी

   iv) परिसरों में कार्यरत कर्मचारी सहकारी ऋण सोसाइटी, यदि कोई हो, के विवरण

5. i) जिस संस्था में विस्तार काउंटर स्थापित किया जाना है उसके **प्रधान बैंकर** का नाम
   ii) क्या संस्था ने विस्तार काउंटर के लिए स्थान देने हेतु सहमति दे दी है?
   iii) क्या संस्था को संस्था के स्टाफ / कर्मचारियों / कामगारों से इतर जनता को विस्तार काउंटर के कैम्पस / परिसर के

भीतर बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति है? यदि हो, तो उसके कारण

(उक्त बातों के समर्थन में आवेदन के भाग II में दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा में संस्था के सक्षम प्राधिकारी से एक पत्र उक्त बातों के समर्थन में संलग्न किया जाना चाहिए।)

6. (i) 5(i) में दी गयी संस्था के प्रधान बैंकर से इतर बैंकर /बैंकरों का /के नाम

(ii) उक्त प्रत्येक बैंकर /बैंकरों के पास संस्था के खातों की संख्या और उनकी जमाराशियों की मात्रा

7. (i) संस्था के साथ विशिष्ट तौर पर संबद्ध जिस ग्राहक वर्ग की बैंकिंग आवश्यकताएं पूरी की जानी हैं उसकी संख्या और उसके प्रकार

(कृपया अलग-अलग आंकड़े दें)

स्टाफ / कामगार / छात्र/ अध्यापक /अन्य* (नामोल्लेख करें)	**जोड़**
------ ------ ------ ------ ------	**=======**

(ii) अन्य सामान्य जनता आदि की अनुमानित संख्या, जिनकी जरूरतें पूरी की जानी हैं। ========

8. (क) परिचालन के दो वर्षों में काउंटर पर निम्नलिखित से प्रत्याशित जमाराशियों की मात्रा :	पहला वर्ष		दूसरा वर्ष	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
(i) संस्था के स्टाफ / कामगारों /छात्रों अध्यापकों * से				
(ii) संस्था से				
(iii) सामान्य जनता से				
(ख) नकद लेनदेनों की दैनिक मात्रा	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**

*जो लागू न हो उसे काट दें

9. विस्तार काउंटर खोलने के कारण

10. प्रस्तावित विस्तार काउंटर में किये जाने वाले लेनदेनों का स्वरूप

11. बैंक द्वारा देय किराया (प्रासंगिक व्ययों को

छोड़कर), यदि कोई हो, की राशि, किराये की दर और विस्तार काउंटर बनाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र

12. क्षेत्र में प्रचलित अथवा राज्य / केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक किराये की दर

13. 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रस्ताव की अर्थक्षमता / आर्थिक पहलुओं के संक्षिप्त परिकलन

दिनांक : (हस्ताक्षर और आवेदक बैंक की मोहर)

जिस संस्था के परिसर में विस्तार काउंटर खोलने का प्रस्ताव है, उसके सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानेवाली घोषणा

भाग II

दिनांक . . . .

1. हमने.. के परिसर में उक्त संस्था @

(संस्था का नाम और पूरा पता)

से संबद्ध निम्नलिखित वर्गों के लाभ के लिए विस्तार काउंटर खोलने के लिए ....
.... से अनुरोध किया है।

(बैंक का नाम)

* कामगार	....	कृपया वास्तविक संख्या अलग-अलग दर्शायें
* स्टाफ / कर्मचारी	....	
* छात्र	....	
* अध्यापक	....	

@ (जहां यह पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक ऐसी संस्थाओं का प्रबंधन किया जा रहा हो, जिन्हें विस्तार काउंटर का लाभ मिलने वाला हो, उन संस्थाओं के नाम / विस्तार काउंटर के लिए प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी, प्रत्येक संस्था के साथ अलग-अलग संबद्ध छात्रों / स्टाफ की संख्या आदि, उनके बैंकरों के नाम और दूरी भी अलग-अलग दर्शायी जानी चाहिए)

* (जो लागू न हो उसे काट दें)

2. (क) .... हमारे प्रधान बैंकर हैं।

(बैंक का नाम और स्थान)

हम निम्नलिखित बैंकरों (बैंकरों के नाम और संस्था से उनकी दूरी बतायें) के साथ भी लेनदेन करते हैं :

1. ....
2. ....
3. ....

(ख) ....को प्रधान बैंकर और अन्य बैंकरों के पास

(कृपया अद्यतन स्थिति बतायें)

हमारे खातों के ब्यौरे।

बैंक का नाम	**खाते (खातों) का प्रकार**	**राशि (रु. ....में)**
1.		
2.		
3.		
4.		

3. हम अपनी संस्था के परिसर में विस्तार काउंटर खोलने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने का वचन देते हैं (उक्त क्रम सं. 1 में उल्लिखित)

4. हमें बाहरी व्यक्तियों को विस्तार काउंटर का उपयोग करने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. यदि प्रधान बैंकर से इतर बैंक को विस्तार काउंटर की अनुमति देने का प्रस्ताव हो तो उसके कारण।

6. क्या इस प्रयोजन के लिए इसी तरह का पत्र किसी अन्य बैंकर को जारी किया गया है :

(संस्था की ओर से सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर,
पदनाम का उल्लेख करते हुए और मोहर, यदि कोई हो)

आवेदक बैंक द्वारा भरा जाये

हमने पैरा 1 में संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर लिया है और उसे सही पाया गया है।

(हस्ताक्षर और आवेदक
बैंक की मोहर)

आवेदक बैंक द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में विस्तार काउंटर के आवेदन के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को यह प्रमाणपत्र **मूल** रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट

मास्टर परिपत्र से एकत्रित की गयी परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1.	बैंपविवि.बीएपीडी.बीसी.सं.122/22.01.009/2013-14	24.06.2014	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन- व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
2.	मेल बॉक्स स्पष्टिकरण	17.06.2014	विदेशी बैंक –एक केंद्र से दूसरे केंद्र में शाखाओं का स्थानांतरण
3.	बैंपविवि. बीएपीडी. बीसी.सं. 60/22.01.009/2013-14	21.10.2013	शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
4.	बैंपविवि. बीएपीडी. बीसी.सं. 54/22.01.009/2013-14	19.09.2013	शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
5.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं. 54/22.01.009/2013-14	02.09.2013	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन- बैंक नोट और सिक्कों के वितरण के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
6.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं.105/22.01.009/2011-12	17.05.2012	वित्तीय समावेशन- व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
7.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं 82/22.01.009/2011-12	02.03.2012	बेंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन- व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
8.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं 60/22.01.001/2011-12	29.11.2011	शाखा प्राधिकरण नीति- छूट- आम अनुमति के अन्तर्गत टीयर 2 शाखाएँ खोलना
9.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं 24/22.01.001/ 2011-12	15.07.2011	शाखा प्राधिकरण नीति- बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएँ खोलना
10.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं.82/ 22.01.009/ 2011-12	02.03.2012	बेंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन- व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
11.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं 60/ 22.01.001/ 2011-12	29.11.2011	शाखा प्राधिकरण नीति- छूट- आम अनुमति के अन्तर्गत टीयर 2 शाखाएँ खोलना
12.	बैंपविवि.बीएल.बीसी.सं.24/22.01.001/ 2011-12	15.07.2011	शाखा प्राधिकरण नीति- बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएँ खोलना
13.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 78/22.01.001/2010-2011	**27.01.2011**	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
14.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 43/22.01.009/2010-2011	**28.9.2010**	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
15.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 27/22.01.001/2010-2011	**23.7.2010**	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23- मोबाइल शाखाएँ और मोबाइल एटीएम
16.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी.	26.04.2010	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय

	99/22.01.009/2009-2010		समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों का उपयोग
17.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/22.01.001/2009-10	01.02.2010	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
18.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 65/22.01.001/2009-10	01.12.2009	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट
19.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 63/22.01.009/2009-10	30.11.2009	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार द्वारा वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग
20.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 137/22.01.001/2008-09	12.06.2009	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा प्राधिकरण नीति में छूट - ऑफ साइट एटीएम
21.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 129/ 22.01.009/2008-09	24.04.2009	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन - व्यवसाय प्रदाताओं (बीएफ) और व्यवसाय प्रति निधियों (बीसी) का उपयोग
22.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 36/ 22.01.009/2008-09	27.08.2008	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग
23.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 35/ 22.01.009/2008-09	27.08.2008	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के माध्यम से वित्तीय समावेशन व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग -धारा 25 कंपनियाँ
24.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 32/22.01.03/2008-09	21.08.2008	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं /कार्यालयों के लिए पट्टे /किराए पर स्थान /जगह का अभिग्रहण दिशानिर्देश का उदारीकरण
25.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/ 22.01.001/2008-09	01.07.2008	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
26.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.009/2007-08	24.04.2008	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन -व्यवसाय सुविधादाता /संपर्ककर्ताओं का उपयोग
27.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/ 22.01.001/2007-08	02.07.2007	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
28.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 99/22.01.010/2006-07	24.05.2007	डोरस्टेप बैंकिंग
29.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी.	21.02.2007	डोरस्टेप बैंकिंग

	59/22.01.010/2006-07		
30.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 11/22.01.001/2006	01.07.2006	शाखा प्राधिकरण पर मास्टर परिपत्र
31.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/ 22.01.009/2008-09	22.03.2006	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन -व्यवसाय सुविधादाता/संपर्ककर्ता का उपयोग
32.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/22.01.001/2005-06	25.01.2006	बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से वित्तीय समावेशन व्यावसायिक सुविधादाताओं/ संपर्ककर्ताओं का उपयोग
33.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 55/22.01.001/2005-06	23.01.2006	उदारीकृत शाखा प्राधिकरण नीति
34.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 35/22.01.001/2005-06	08.09.2005	उदारीकृत शाखा प्राधिकरण नीति
35.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24/ 22.01.001/2005-06	03.08.2005	बैंकों की शाखा विस्तार कार्यनीति
36.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 92/22.01.001/2004-05	20.05.2005	तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना - प्रोफार्मा I एवं II
37.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 86/22.01.001/2004-05	30.04.2005	डोरस्टेप बैंकिंग
38.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 82/ 22.01.001/2004-05	27.04.2005	शाखाओं/कार्यालयों का स्थानांतरण - क्रियाविधि को सरल तथा कारगर बनाना
39.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 39/ 22.01.001/2004-05	10.09. 2004	केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र / बैक ऑफिस इत्यादि खोलना
40.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 23/ 22.01.001/2003	11.09.2003	विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) पर डिपोजिटरी सेवाएं देना
41.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 13/ 22.01.001/2003	18.08.2003	बैंक शाखाओं का अभिग्रहण (टेक ओवर)

42.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 5/ 22.01.001/2003	23.07.2003	ए टी एम के जरिए निधियों का तीसरी पार्टी को अंतरण
43.	बैंपविवि. सं. आइबीएस.बीसी. 32 /23.03.001/2002-03	17.10.2002	विदेशी बैंकों की शाखाएं बंद करना
44.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/ 22.01.001/2002	11.03.2002	सामान्य बैंकिंग शाखाओं को विशेषीकृत लघु उद्योग शाखाओं में परिवर्तित किया जाना
45.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 62/ 22.01.001/2002	28.01.2002	ए टी एम नेटवर्क पर तीसरी पार्टी के विज्ञापन
46.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 23/22.01.001/2000-01	12.09.2000	शाखाएँ / विस्तार पटल खोलना / स्थान बदलना आदि - लाइसेंस पहले से प्राप्त करना
47.	बैंपविवि. सं. बीसी. 13 / 22.01.03/2000-01	04.08.2000	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयेाग के लिए पट्टे/किराए पर मकान का अभिग्रहण
48.	बैंपविवि. सं. बीसी. 127 / 12.05.005/99-2000	30.11.1999	रिज़र्व बैंक का बैंकों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियों का युक्तिकरण
49.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 105/ 22.01.03/98	11.11.1998	वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने उपयेाग के लिए पट्टे/किराए पर मकान का अभिग्रहण
50.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 74/ 22.01.03/98	29.07.1998	ब्लॉक / सेवा क्षेत्र से बाहर ग्रामीण शाखाओं का स्थानांतरण और ग्रामीण शाखाओं को बंद करना
51.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 115/ 22.06.001/97	21.10.1997	शाखा बैंकिंग सांख्यिकी-मासिक विवरणियों की प्रस्तुति - प्रोफार्मा II और III में संशोधन
52.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 64/ 22.01.003/97	05.06.1997	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में वाणिज्य बैंकों के कार्यालय खोलना - दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)
53.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 76/ 22.01.001/96	17.06.1996	बैंपविवि के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन
54.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/	16.05.1996	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)

	21.03.051/96		
55.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 123/21.03.051/95	16.10.1995	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
56.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 152/ 21.03.051/94	29.12.1994	स्वचालित टेलर मशीनें (एटीएम)
57.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 152/ 22.01.001/93	24.08.1993	बैंक शाखाएं खोलना/बंद करना
58.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 41/22.01.001/92	09.10.1992	बैंकों को कार्यालयों का स्थान बदलने, नया कारोबार करने आदि के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन
59.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी.132/ 22.01.001/92	20.05.1992	बैंकों को कार्यालय स्थानांतरित करने, नियंत्रण कार्यालय खोलने, नया कारोबार करने आदि के लिए प्राधिकार का प्रत्यायोजन
60.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 24/ बीएल. 66/91	06.09.1991	केरल में कार्यालयों/शाखाओं के नाम में परिवर्तन
61.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 132/ सी.168 (एम) - 91	11.06.1991	विशेषीकृत गृह निर्माण वित्त शाखाएं खोलना
62.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 81/ सी 168 (64डी)- 91	16.02.1991	बैंक शाखाएं खोलना/बंद करना
63.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 68/ सी 168 (64डी) - 91	16.01.1991	भविष्य में शाखा विस्तार के प्रति दृष्टिकोण
64.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 16/ सी 168 (64डी) - 90	12.09.1990	भविष्य में शाखा विस्तार के प्रति दृष्टिकोण
65.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 72/सी 168 (64डी) - 87	14.12.1987	शाखा लाइसेंसीकरण नीति 1985-90 - अनुषंगी/चल शाखाएं स्थापित करना
66.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 86/सी 168 -84	21.08.1984	स्थानीय इलाका/मार्ग आदि के नाम बदलने के कारण शाखा के नाम में परिवर्तन की आवश्यकता
67.	बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 147/सी 168 - 78	20.10.1978	बैंकों की शाखाओं के नाम में परिवर्तन
68.	बैंपविवि. सं. बीएल. 99/सी 168 - 68	19.01.1968	चल कार्यालय खोलना